इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2026–फाल्गुन 8, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, निखिल जाट पिता अशोक जाट, निवासी– ग्राम अम्बालिया, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नीरके जाट पिता अशोक जाट अंकित है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम निखिल जाट है, जो कि सही है. दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे निखिल जाट के नाम से सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नीरेक जाट)	**(निखिल जाट).**

(G-1613)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम रिनू सिशोदिया पिता साहिबा (REENU SISHODIYA), निवासी– म.नं. 64, पटेल फालिया, धुसगांव, राजपुर, बडवानी (म.प्र.). वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत/दस्तावेजों में मेरा नाम रीना सिसोदिया पिता साहिबा सिसोदिया (REENA SISODIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रिनू सिशोदिया)	**(रीना सिसोदिया).**

(G-1614)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम परवीन पति रूस्तम शाह है. त्रुटिवश मेरे वोटर कार्ड में मेरा घर का नाम पारो पति रूस्तम खा हो गया है, जो कि गलत है. पारो व परवीन दोनों ही नाम एक स्वयं के है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम परवीन बी पति रूस्तम शाह है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(परवीन बी)

निवासी– 8, मोमिनपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1615)

नाम परिवर्तन

मैं, कलीम उद्दीन सिद्दीकी, पिता श्री कमाल उद्दीन सिद्दीकी, निवासी– गांधी भवन के पास, मकान नं. 973, प्रताप नगर, श्यामला हिल्स, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "Arseel Siddiqui (अरसील सिद्दीकी)" दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र का सही नाम "ARSHIL SIDDIQUI (अर्शिल सिद्दीकी)" है, जो कि उसके समस्त शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम "ARSHIL SIDDIQUI (अर्शिल सिद्दीकी)" है. भविष्य में उसे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कलीम उद्दीन सिद्दीकी)

पिता– कमाल उद्दीन सिद्दीकी.

(G-1616)

नाम परिवर्तन

मैं, रूप सिंह सिकरवार (ROOP SINGH SIKARWAR), यही नाम मेरे पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजू सिंह सिकरवार (RAJOO SINGH SIKARWAR) दर्ज हो गया है. रूप सिंह सिकरवार (ROOP SINGH SIKARWAR) और राजू सिंह सिकरवार (RAJOO SINGH SIKARWAR) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे राजू सिंह सिकरवार (RAJOO SINGH SIKARWAR) के स्थान पर रूप सिंह सिकरवार (ROOP SINGH SIKARWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राजू सिंह सिकरवार)

(RAJOO SINGH SIKARWAR)

नया नाम

(रूप सिंह सिकरवार)

(ROOP SINGH SIKARWAR)

पुत्र– छोटे सिंह सिकरवार

निवासी–44, वार्ड नं. 4, ग्राम सिकरोदा, तह. जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1617)

नाम परिवर्तन

मैं, सूरज चांदवानी एवं कीर्ति चांदवानी, निवासी– म.नं. 58, शांति नगर कॉलोनी, बैरसिया रोड, शिव मंदिर के सामने, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम पूर्व में "पालकी चांदवानी" था. उसका नाम बदलकर "पवित्रा चांदवानी" कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को सभी शासकीय, अशासकीय एवं अन्य अभिलेखों में "पवित्रा चांदवानी" के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पिता– सूरज चांदवानी)
माता– कीर्ति चांदवानी.

(G-1618)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम करण बलबंडे (Karan Balbande) है, जो कि, उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में करण साहू (Karan Sahu) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम करण बलबंडे (Karan Balbande) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गणेश बलबंडे)
माता– सरोज बाला बलबंडे
निवासी– 70/1, गंगा बाग कॉलोनी,
इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1619)

नाम परिवर्तन

मैं, हाजरा चौहान (Hajara Chouhan) पत्नी श्री सुरेंद्र चौहान, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम हाजरा चौहान (Hajara Chouhan) दर्ज है. मैंने अपना नाम बदल कर अरुणा चौहान (Aruna Chouhan) पत्नी श्री सुरेंद्र चौहान कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे हाजरा चौहान (Hajara Chouhan) के स्थान पर अरुणा चौहान (Aruna Chouhan) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हाजरा चौहान)
(Hajara Chouhan)

नया नाम

(अरुणा चौहान)
(Arun Chouhan)
पति– श्री सुरेंद्र चौहान
निवासी– 142, श्रद्धा श्री कॉलोनी,
एमआर 9 रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1620)

नाम परिवर्तन

मेरे पिता का सही नाम प्रदीप सिंह सचान (Pradeep Singh Sachan) है, जो कि, मेरे पैन कार्ड एवं आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु त्रुटिवश मेरी 10वीं, 12वीं एवं समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में मेरे पिता का नाम प्रदीप सचान (Pradeep Sachan) अंकित हो गया है, जबकि, दोनों ही नाम मेरे पिता के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पिता का सही नाम प्रदीप सिंह सचान (Pradeep Singh Sachan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पियूष सचान)
पिता– प्रदीप सिंह सचान
निवासी– सी–71, नेशनल कॉलोनी, सेजवाया,
डेहरीसराय, जिला धार (म.प्र.).

(G-1621)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम इरशाद अन्सारी (Irshad Ansari) है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम इरसाद (Irsad) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम इरशाद अन्सारी (Irshad Ansari) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इरसाद)	**(इरशाद अन्सारी)**
(Irsad)	(Irshad Ansari)
	पिता– मोहम्मद नजीर अन्सारी
	निवासी– 82, खजरानी कांकड,
	शेख किराना स्टोर के पास,
(G-1622)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में विनोद कुमार साहा (Vinod Kumar Saha) था, जो कि परिवर्तित करके आकाश कुमार साहा (Akash Kumar Saha) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम आकाश कुमार साहा (Akash Kumar Saha) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विनोद कुमार साहा)	**(आकाश कुमार साहा)**
(Vinod Kumar Saha)	(Akash Kumar Saha)
	पिता-- बासु देव साहा
	निवासी– 05, सर्वसम्पन्न नगर, बिचौली रोड,
	कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल के पास, कनाडिया,
(G-1623)	जिला इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री राधेश्याम, निवासी–ग्राम हर्राज खेड़ी, तह. आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कल्पना बाई दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे राशन कार्ड, मार्कशीट, मतदाता पहचान–पत्र, निशक्तता प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम कमला बाई दर्ज है, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और उत्तराधिकारी संबंधी दस्तावेजों, समस्त बैंक खातों, चल–अचल संपत्ती में कमला बाई पत्नी श्री राधेश्याम के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कल्पना बाई)	**(कमला बाई).**

(G-1624)

नाम परिवर्तन

मैं, लखन सूर्यवंशी आत्मज श्री सुरेश सूर्यवंशी, निवासी–म.नं. 386, वार्ड क्र. 08 ईडब्ल्यूएस, विजय नगर, देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम जैतिक सूर्यवंशी (Jaitik Suryavanshi) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम जीशान सूर्यवंशी (Jishan Suryanvanshi) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम जैतिक सूर्यवंशी (Jaitik Suryavanshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लखन सूर्यवंशी).

(G-1625)

नाम परिवर्तन

मैं, जगभान सिंह रघुवंशी पुत्र श्री रूप सिंह रघुवंशी, निवासी–म.नं. 50, वार्ड नं. 09, ग्राम सलैया (ठाकुर), पोस्ट देवरी गुडा सलैया, डोरी गुदा, कटनी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कमलेश रजक पुत्र श्री जगभान सिंह रघुवंशी (KAMLESH RAJAK S/o. JAGBHAN SINGH RAGHUVANSHI) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में निखिल सिंह रघुवंशी पुत्र श्री जगभान सिंह रघुवंशी (NIKHIL SINGH RAGHUVANSHI S/o. JAGBHAN SINGH RAGHUVANSHI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही निखिल सिंह रघुवंशी पुत्र श्री जगभान सिंह रघुवंशी (NIKHIL SINGH RAGHUVANSHI S/o. JAGBHAN SINGH RAGHUVANSHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जगभान सिंह रघुवंशी)

(G-1626) (JAGBHAN SINGH RAGHUVANSHI).

नाम परिवर्तन

मैं, कपिल शर्मा (KAPIL SHARMA) पुत्र श्री जगदीश शर्मा, निवासी–म.नं 25, नारायण गुरू विहार सोसायटी, अयोध्या बाई पास रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में दर्ज है, जबकि मेरे बैंक खातों, वोटर कार्ड, अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम देवेन्द्र कपिल शर्मा (DEVENDRA KAPIL SHARMA) गलत दर्ज हो गया है. कपिल शर्मा (KAPIL SHARMA) और देवेन्द्र कपिल शर्मा (DEVENDRA KAPIL SHARMA) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम देवेन्द्र कपिल शर्मा के स्थान पर कपिल शर्मा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(देवेन्द्र कपिल शर्मा)

नया नाम

(कपिल शर्मा).

(G-1627)

नाम परिवर्तन

मैं, रामभरोष प्रजापति (Rambharos Prajapati) पुत्र गुरूबगस, मेरी पुत्री का नाम खुशी सरेटिया (Khushi Saretiya) है. त्रुटिवश आधार कार्ड में उसका नाम भोरी (Bhori) पुत्री रामभरोष (Rambharosh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम खुशी सरेटिया (Khushi Saretiya) पुत्री रामभरोष प्रजापति (Rambharos Prajapati) दर्ज हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को खुशी सरेटिया (Khushi Saretiya) पुत्री रामभरोष प्रजापति (Rambharos Prajapati) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामभरोष प्रजापति)

(Rambharos Prajapati)

निवासी– 11, ग्राम कुलास कला,

(G-1628) तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, बनवारी चंद्रवंशी (BANWARI CHANDRAVANSHI) पुत्र कैलाश चंद, मेरी पुत्री का नाम अंशिका चंद्रवंशी (ANSHIKA CHANDRAVANSHI) है. त्रुटिवश आधार कार्ड में उसका नाम पूर्ती (PURTI) केयर ऑफ रानी वर्मा (Rani Verma) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम अंशिका चंद्रवंशी (ANSHIKA CHANDRAVANSHI) पुत्री बनवारी चंद्रवंशी (BANWARI CHANDRAVANSHI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अंशिका चंद्रवंशी (ANSHIKA CHANDRAVANSHI) पुत्री बनवारी चंद्रवंशी (BANWARI CHANDRAVANSHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बनवारी चंद्रवंशी)

(BANWARI CHANDRAVANSHI)

निवासी– पटेल मोहल्ल, जमोन्या गणेश,

पोस्ट जमोन्या गणेश, राजगढ़ (म.प्र.).

(G-1629)

नाम परिवर्तन

मैं, सोमेन बिस्वास (Somen Biswas) आत्मज श्री सतेन्द्र नाथ, निवासी– नया बाजार, गाडोला रोड, बटियागढ, तहसील बटियागढ, जिला दमोह (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम सोमेन कुमार बिस्वास (Sauman Kumar Biswas) एवं 12वीं की अंकसूची में सोमेन कुमार बिस्वास (Somen Kumar Biswas) अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम सोमेन बिस्वास (Somen Biswas) दर्ज है. उक्त तीनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोमेन बिस्वास (Somen Biswas) आत्मज श्री सतेन्द्र नाथ के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सोमेन कुमार बिस्वास)

(Sauman Kumar Biswas

/Somen Kumar Biswas)

आत्मज– सतेन्द्र नाथ बिस्वास

(Satyendra Nath Viswas).

नया नाम

(सोमेन बिस्वास)

(Somen Biswas)

आत्मज– श्री सतेन्द्र नाथ

(Satyendra Nath).

(G-1630)

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रजमोहन विश्वकर्मा आत्मज श्री कमला प्रसाद, निवासी– कमलेश नगर, करोंद, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में बेबी (BABY) पिता ब्रजमोहन विश्वकर्मा (BRAJMOHAN VISHWAKARMA) दर्ज है एवं जन्म प्रमाण–पत्र में वेदिका (VEDIKA) पिता ब्रजमोहन (BRAJMOHAN) एवं स्कूल रिकार्ड में वेदिका विश्वकर्मा (VEDIKA VISHWAKARMA) पिता ब्रजमोहन विश्वकर्मा (BRAJMOHAN VISHWAKARMA) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को वेदिका विश्वकर्मा (VEDIKA VISHWAKARMA) पिता ब्रजमोहन विश्वकर्मा (BRAJMOHAN VISHWAKARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ब्रजमोहन विश्वकर्मा)

आत्मज– श्री कमला प्रसाद.

(G-1631)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप कुर्मी आत्मज श्री राजकुमार कुर्मी, निवासी–ग्राम बोलसरा, पोस्ट मोकलपुर, जिला सागर (म.प्र.). मेरा सही नाम संदीप कुर्मी (Sandeep Kurmi) है, परंतु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजकुमार कुर्मी (Rajkumar Kurmi) अंकित हो गया हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, अपने सही नाम संदीप कुर्मी (Sandeep Kurmi) के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजकुमार कुर्मी)	(संदीप कुर्मी)
(Rajkumar Kurmi)	(Sandeep Kurmi).

(G-1632)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विराट मीना (VIRAT MEENA) पिता रामहेत मीना, निवासी– ग्राम बरखेड़ा, बरखेड़ा बरसात, तहसील राघौगढ, जिला गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश मेरा नाम राधेश्याम मीना (RADHESHYAM MEENA) पिता रामहेत मीना दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम विराट मीना (VIRAT MEENA) पिता रामहेत मीना है, जो मेरे जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम विराट मीना (VIRAT MEENA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधेश्याम मीना)	(विराट मीना)
(RADHESHYAM MEENA)	(VIRAT MEENA).

(G-1633)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 60 (1) और 63 (1) के अधीन सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीनाथ इंटरप्राइजेज द्वारा श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नी श्री कामेश जोशी, निवासी– 19, शिक्षक कॉलोनी, दलोदा चौपाटी, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) – 458667 दलोदा में चने की दाल का व्यवसाय करती है. इस फर्म का भागीदारीनामा दिनांक 01–04–2024 से भागीदार नं. 1. श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नी श्री कामेश जोशी, नं. 2. श्रीमती संजू बाला पत्नी मनीष पाटीदार, नं. 3. श्रीमती संतोष पाटीदार पत्नी अंकित पाटीदार का लिखा जाकर आपस में मिलकर 01–04–2024 से यह व्यवसाय कर रहे थे. दिनांक 01–04–2025 में सभी भागीदार की सहमति से लिखी गई विलेख के अनुसार उक्त फर्म में नं. 3 श्रीमती संतोष पाटीदार पत्नी अंकित पाटीदार इस कार्य से अलग हो गई हैं व इस प्रकार अब इस उपरोक्त भागीदारी फर्म से संतोष पाटीदार पत्नी अंकित पाटीदार का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं रहा है. इनकी जगह में नवीन भागीदार श्रीमती ज्योति पाटीदार पत्नी विकेश पाटीदार को दिनांक 01–04–2025 से सम्मिलित किया गया है. इस प्रकार अब इस फर्म में नं. 1. श्रीमती प्रज्ञा शर्मा पत्नी श्री कामेश जोशी, नं. 2. श्रीमती संजू बाला पत्नी मनीष पाटीदार, नं. 3. श्रीमती ज्योति पाटीदार पत्नी विकेश पाटीदार ही भागीदार हैं व इस फर्म में नवीन भागीदारी विलेख के अनुसार फर्म का कार्यालय में परिवर्तन कर दिनांक 01–04–2025 से फर्म का नया पता कार्यालय ताजखेड़ी, तहसील जिला मंदसौर (म.प्र.)–487667 से बदलकर नवीन कार्यालय– ग्राम एलची रोड दलोदा, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)–458667 हो गया है. फर्म का पंजीयन क्रमांक 07/35/08/0184/26 है.

मेसर्स श्रीनाथ इंटरप्राइजेज

प्रज्ञा शर्मा

(साझेदार).

(G-1634)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रामकृष्ण लोधी पिता रूप सिंह लोधी, (RAMKRISHNA LODHI S/o. ROOP SINGH LODHI) है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड व जन्म प्रमाण–पत्र में RAMKRISHAN LODHI S/o. RUPSINGH LODHI हो गया है, जो कि गलत है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम रामकृष्ण लोधी पिता रूप सिंह लोधी (RAMKRISHAN LODHI S/o. ROOP SINGH LODHI), जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, पढा–लिखा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(RAMKRISHAN LODHI)	**(रामकृष्ण लोधी)**
(S/o. RUPSINGH LODHI)	(RAMKRISHNA LODHI)
	पिता– रूप सिंह लोधी
	(S/o. ROOP SINGH LODHI)
	निवासी– ग्राम रतवास, पोस्ट बामोरकला,
(G-1635)	बमोर्कलन, शिवपुरी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सविता बाई पति अशोक तंवर है, त्रुटिवश मेरी LIC POLICY एवं बैंक खाते में घर का बोलता नाम सुनीता बाई (SUNITA BAI) हो गया है, जो कि गलत है. उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही महिला के है. मेरा सही नाम सविता बाई (SAVITA BAI) पति अशोक तंवर है, जो मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज होकर मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुनीता बाई)	**(सविता बाई)**
SUNITA BAI	(SAVITA BAI)
	निवासी– 75, नई बस्ती, ए.बी. रोड राउ
(G-1636)	इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, संजय चौहान, मेरा नाम आधार कार्ड में अंग्रेजी में संजय चौहान (SANJAY CHOHAN) गलत अंकित हो गया है. जबकि मेरे नाम की अंग्रेजी में सही स्पेलिंग संजय चौहान (SANJAY CHOUHAN) है, जिसे में सही करवाना चाहता हूँ तथा मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अंग्रेजी में ऐसे ही लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम संजय चौहान (SANJAY CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संजय चौहान)	**(संजय चौहान)**
(SANJAY CHOHAN)	(SANJAY CHOUHAN).
(G-1637)	

नाम परिवर्तन

मैं, संजय तंवर पुत्र रामेश्वर तंवर, निवासी–ग्राम अवलाय, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में उसका नाम (Niranjan Darbar) अंकित है. जबकि उसका सही नाम निरंजन तंवर (Niranjan Tanwar) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शैक्षणिक/शासकीय/अर्धशासकीय सभी दस्तावेजो में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निरंजन तंवर (Niranjan Tanwar) पुत्र संजय तंवर (Sanjay Tanwar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1638) **(संजय तंवर).**

उपनाम परिवर्तन

मैं संजय तंवर पुत्र रामेश्वर तंवर, निवासी–ग्राम अवलाय, तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरी पुत्री के स्कूल रिकार्ड में उसका नाम (Vandana Darbar) अंकित है. जबकि उसका सही नाम (Vandana Tanwar) है. जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शैक्षणिक/शासकीय/अर्धशासकीय सभी दस्तावेजों में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वंदना तंवर (Vandana Tanwar) पुत्री संजय तंवर (Sanjay Tanwar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय तंवर).

(G-1639)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम नवीन कुमावत पिता पुखराज कुमावत है, किन्तु त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में उसका नाम नक्शा कुमावत पिता पुखराज कुमावत (NAKSHA KUMAWAT S/o. PUKHRAJ KUMAAWT) हो गया है, जो कि गलत है. उसका सही नाम नवीन कुमावत पिता पुखराज कुमावत (NAVEEN KUMAWAT S/o. PUKHRAJ KUMAWAT) होकर उसे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पुखराज कुमावत)
निवासी– 101, सत्यम् अपार्टमेंट,
21, सर्वसंपन्न नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1640)

नाम परिवर्तन

मैं, छठी लाल कारपेंटर पुत्र जगमोहन प्रसाद कारपेंटर, निवासी – 72, राधाकुंज गोपाल नगर, खजूरी कलां हुजूर भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सी.एल. कारपेंटर (C L CARPENTER) दर्ज है. जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में मेरा नाम छठी लाल कारपेंटर (Chhathi Lal Carpenter) दर्ज है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. जो सही है. प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम छठी लाल कारपेंटर (Chhathi Lal Carpenter) के नाम से मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सी.एल. कारपेंटर)
(C L CARPENTER)

नया नाम

(छठी लाल कारपेंटर)
(Chhathi Lal Carpenter)
पुत्र– जगमोहन प्रसाद कारपेंटर
(Jagmohan Prasad Carpenter).

(G-1641)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम संस्कार करमोदिया पिता सुरेश करमोदिया (SANSKAR KARMODIYA S/o. SURESH KARMODIYA), निवासी– बेडा खेडी, आष्टा सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड व समग्र आई.डी. में त्रुटिवश नाम संजू वर्मा पिता सुरेश वर्मा (SANJU VERMA S/o. SURESH VERMA) अंकित हो गया हैं, जो की गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम संस्कार करमोदिया पिता सुरेश करमोदिया (SANSKAR KARMODIYA S/o. SURESH KARMODIYA) है. उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम संस्कार करमोदिया पिता सुरेश करमोदिया (SANSKAR KARMODIYA S/o. SURESH KARMODIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुरेश करमोदिया)
पिता– हेमराज सिंह.

(G-1642)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुखराम धुर्वे (Sukhram Dhurve) पिता तुमला धुर्वे है. जो कि मेरे आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, मार्कशीट, मूल निवासी पर दर्ज है, किन्तु मेरे सेवा अभिलेख में त्रुटिवश मेरे उपनाम के स्थान पर मेरी जाति कोरकू दर्ज हो गई है तथा कोरकू मेरी जाति एवं सरनेम धुर्वे है, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में अधिकांश दस्तावेजों पर मेरा सही नाम सुखराम धुर्वे (Sukhram Dhurve) के नाम से जाना--पहचाना जावे एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुखराम कोरकू)

नया नाम

(सुखराम धुर्वे)
पिता– तुमला धुर्वे
निवासी–सी/1–8, क्वार्टर दूसरी पल्टन,
वी.आई.पी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1643)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे राजू खान के नाम से जाना जाता था. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे राजू खान के स्थान पर मुझे भविष्य में इम्तियाज अहमद के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राजू खान)

नया नाम

(इम्तियाज अहमद).

(G-1644)

नाम परिवर्तन

मैं, मयंक लोधी पुत्र श्री किशोरचंद्र, निवासी– ई.डब्ल्यू.एस. 131, फेस–5, पार्ट–2, अयोध्या नगर, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.). मेरी अंकसूची में मेरी माता एवं पिता का नाम किशोरचंद्र लोधी एवं माता का नाम शालू लोधी त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि मेरे माता पिता का सही नाम (पिता किशोरचंद्र) (माता–त्रिलोक लोधी) है. जो कि मेरे शेष अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मयंक लोधी).

(G-1645)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र अर्जुन बघेल आत्मज श्री प्रकाश बघेल, निवासी–बस स्टेण्ड, विजरोनी, बिज्रोनी, बिज्रोनी, शिवपुरी (म.प्र.). से जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल दर्ज है. वर्तमान में भी मेरा पुत्र अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल के नाम से जाना पहचाना जाता है. त्रुटिवश आधार कार्ड में अजून सिंह पुत्र प्रकाश बघेल अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अर्जुन बघेल पुत्र प्रकाश बघेल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रकाश बघेल).

(G-1646)

नाम परिवर्तन

मैं, ममता कुशगोतिया पति श्री दिनेश कुमार खंगार, निवासी– मकान नं. 251, ग्राम बरखेड़ी कलां, भदभदा रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम यश (YASH) से परिवर्तन कर उसका नाम यश राय (YASH RAI) करना चाहती हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसके समस्त स्कूल, शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय बैंक, पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस आदि में सही यश राय (YASH RAI) के नाम से जाना--पहचाना जावे.

आवेदक

(ममता कुशगोतिया).

(G-1647)

नाम परिवर्तन

मैं, मीनू कुकरेजा (MEENU KUKREJA) पत्नी श्री हरीश कुकरेजा, मेरा पूर्व का नाम लक्ष्मी चन्दानी (LAXMI CHANDANI) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम मीनू कुकरेजा है. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया हैं. मीनू कुकरेजा एवं लक्ष्मी चन्दानी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी एवं शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम लक्ष्मी चन्दानी के स्थान पर मीनू कुकरेजा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लक्ष्मी चन्दानी)

नया नाम

(मीनू कुकरेजा)
पत्नी– श्री हरीश कुकरेजा
निवासी– 103, हरिओम विला हारकोटा सीर,
समाधिया कॉलोनी, गिर्द, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1648)

नाम परिवर्तन

मैं, राजवीर करौसिया (RAJVEER KAROUSIYA) पुत्र श्री मोहन लाल करौसिया, मेरे पुत्र का नाम वरूण करोसिया (VARUN KAROSIA) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम बरूण करौसिया (BARUN KAROUSIYA) गलती से इंग्लिश स्पेलिंग में (B) लिख गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को वरूण करोसिया (VARUN KAROSIA) (V) के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो उसके शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों में एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, वरूण करोसिया (VARUN KAROSIA) एवं बरूण करौसिया (BARUN KAROUSIYA) दोनों मेरे एक ही पुत्र के नाम है. अतः मेरे आधार कार्ड में उसका नाम बरूण करौसिया (BARUN KAROUSIYA) (B) के स्थान पर वरूण करोसिया (VARUN KAROSIA) (V) लिखा एवं पढ़ा जावे.

आवेदक

(राजवीर करौसिया)
निवासी– नया देहात थाने के पीछे,
बाल्मीक नगर, भिण्ड (म.प्र.).

(G-1649)

नाम परिवर्तन

मैं, नफीश खांन (NFEESH KHAN) पुत्र श्री सोना खान, मेरा पूर्व का नाम असलम खांन (ASHLAM KHAN) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में नफीश खांन के नाम से जाना–पहचाना जाता हूं. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. नफीश खांन एवं असलम खांन दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम असलम खांन के स्थान पर नफीश खांन लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(असलम खांन)

नया नाम

(नफीश खांन)
पुत्र– श्री सोना खान
निवासी– 01, रामपुर कला, पोस्ट रामपुर कलां,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1650)

नाम परिवर्तन

मैं, सेवाबाई बाथम (SEVABAI BATHAM) पत्नी श्री गोपाल बाथम, मेरा पूर्व में नाम रेखा बाथम (REKHA BATHAM) था, जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं समग्र आई.डी. में लिखा है, जबकि मेरा सही नाम सेवाबाई बाथम है, जो मेरे वोटर कार्ड में लिखा है सेवाबाई बाथम एवं रेखा बाथम दोनों मेरे ही नाम है अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं समग्र आई.डी. में मेरा नाम रेखा बाथम के स्थान पर सही नाम सेवाबाई बाथम लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रेखा बाथम)

नया नाम
(सेवाबाई बाथम)
पत्नी– श्री गोपाल बाथम
निवासी– वार्ड नं. 26, सिद्धेश्वर मंदिर के पास,
जिला शिवपुरी (म.प्र.).

(G-1651)

नाम परिवर्तन

मैं, राजाबेटी (RAJABETI) पत्नी श्री तिलक सिंह, मेरा पूर्व में नाम रामबेटी (RAMBETI) था, जो मेरे आधार कार्ड में लिखा है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम राजाबेटी है, जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा है. राजाबेटी एवं रामबेटी दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रामबेटी के स्थान पर राजाबेटी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामबेटी)

नया नाम
(राजाबेटी)
पत्नी– श्री तिलक सिंह
निवासी– गोपाल पुरा, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1652)

नाम परिवर्तन

मैं, उद्देश्य देवलकर (UDDESHYA DEWALKAR) पुत्र श्री राहुल देवलकर, मेरा पूर्व में नाम अनन्त आर देवलकर (ANANT R DEWALKAR) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा है, जबकि मेरा सही नाम उद्देश्य देवलकर है. जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा है, उद्देश्य देवलकर एवं अनन्त आर देवलकर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम अनन्त आर देवलकर के स्थान पर उद्देश्य देवलकर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनन्त आर देवलकर)

नया नाम
(उद्देश्य देवलकर)
निवासी–डॉ. मोघे वाली गली, शेख की बगिया,
नई सड़क, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1653)

नाम परिवर्तन

मैं, रामचित्र सिंह (RAMCHITRA SINGH) पुत्र श्री गंभीर सिंह, मेरी पुत्री का पूर्व में नाम टिंकल (TINKLE) था जो उसके आधार कार्ड में गलती से लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम ट्विंकल सैनी (TWINKLE SAINY) है. जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में लिखा है. टिंकल एवं ट्विंकल सैनी दोनों मेरी पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम टिंकल के स्थान पर सही नाम ट्विंकल सैनी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(रामचित्र सिंह)
निवासी–वार्ड नं. 18, गुरूद्वारा वाली गली,
गोहद चौराहा, भिण्ड (म.प्र.).

(G-1654)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री रामदास महाराज मिनरल्स जो 16. काली माता मंदिर के पास, नैनागढ़ रोड, जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–44–01–0173–25 एवं दिनांक 20 अगस्त 2025 है. जिसमें दिनांक 23 जनवरी 2026 को श्री राजेन्द्र प्रसाद मित्तल पुत्र श्री गोवर्धन दास मित्तल, निवासी– 46, बाग भवा साहब कोठी, जिला धौलपुर, राजस्थान एवं श्री अनिल सिंघल पुत्र श्री रामभरोषी लाल सिंघल, निवासी– 48, बाडा अजमेर सिंह बजरिया, जिला धौलपुर, राजस्थान फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मेसर्स श्री रामदास महाराज मिनरल्स

अभय अग्रवाल

(भागीदार)

पता– 16, काली माता मंदिर के पास, नैनागढ़ रोड,

जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1655)

नाम परिवर्तन

मैं, नेतराम कुशवाह (NETRAM KUSHWAH) पुत्र श्री श्रीनिवास कुशवाह, मेरा पूर्व का नाम नेता कुशवाह (NETA KUSHWAH) था, जो मेरे आधार कार्ड में गलती से लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम नेतराम कुशवाह पुत्र श्री श्रीनिवास कुशवाह है. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा है. नेतराम कुशवाह एवं नेता कुशवाह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नेता कुशवाह (NETA KUSHWAH) के स्थान पर सही नाम नेतराम कुशवाह (NETRAM KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नेता कुशवाह)

नया नाम

(नेतराम कुशवाह)

पुत्र– श्री श्रीनिवास कुशवाह

निवासी–ग्राम नरहेला, पोस्ट नरहेला,

जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-1656)

नाम परिवर्तन

मैं, वीर सिंह (VEER SINGH) पुत्र श्री लज्जराम सिंह, मेरा पूर्व में नाम वीरेन्द्र सिंह (VIRENDRA SINGH) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम वीर सिंह है. जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा है. वीर सिंह एवं वीरेन्द्र सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम वीरेन्द्र सिंह के स्थान पर सही नाम वीर सिंह लिखा–पढ़ा, दर्ज एवं किया जावे.

पुराना नाम

(वीरेन्द्र सिंह)

नया नाम

(वीर सिंह)

पुत्र– श्री लज्जराम सिंह

निवासी– हाउस नं. 78, ओहदपुर, गिर्द,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1657)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश यशस्विनी चौहान पिता जितेन्द्र चौहान (YASHASWINI CHOUHAN D/o. JITENDRA CHOUHAN) दर्ज हो गया है. मेरी पुत्री का सही नाम इशिका चौहान पिता जितेन्द्र चौहान (ISHIKA CHOUHAN D/o. JITENDRA CHOUHAN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को इशिका चौहान पिता जितेन्द्र चौहान (ISHIKA CHOUHAN D/o. JITENDRA CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र चौहान)
पिता– सरदार सिंह चौहान
निवासी– फ्लेट 707, मंजिल नं. 6, एन 1,
हाई राइज बिल्डिंग, 15 बटालियन, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1658)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम तेजकुमार राजदेव पिता विजय राजदेव (TEJKUMAR RAJDEV S/o. VIJAY RAJDEV) है, जो कि मेरे दस्तावेजों में लिखा हुआ है, मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश तरूण राजदेव पिता विजय राजदेव (TARUN RAJDEV S/o. VIJAY RAJDEV) लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में जहाँ भी मेरा नाम तरूण राजदेव पिता विजय राजदेव (TARUN RAJDEV S/o. VIJAY RAJDEV) मेरा सही नाम तेजकुमार राजदेव पिता विजय राजदेव (TEJKUMAR RAJDEV S/o. VIJAY RAJDEV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज जावे.

पुराना नाम
(तरूण राजदेव)

नया नाम
(तेजकुमार राजदेव)
पिता– विजय राजदेव
निवासी– 11, ओपेरा ग्रीन कॉलोनी, बीजलपुर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1659)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम विनित चन्देल (Vinit Chandel) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अभिषेक चन्देल (Abhishek Chandel) लिखा गया है, जो कि गलत हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड सहित सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम विनित चन्देल (Vinit Chandel) ही लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश चन्देल)
निवासी– म.नं. 45, वार्ड नं. 03, टावर के पास,
तह. देपालपुर, शहावदा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1660)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम वीरपाल गिरासे (VIRPAL GIRASE) व वैशाली गिरासे (VAISHALI GIRASE) है, जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है. मेरे पुत्र प्रद्युम्नसिंह राजपूत (PRADYUMANSINGH RAJPUT) के कुछ दस्तावेजों में हमारा उपनाम वीरपाल सिंह राजपूत (VIRPAL SINGH RAJPUT) व वैशाली सिंह राजपूत (VAISHALI SINGH RAJPUT) लिखा है, जो कि मेरा गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र प्रद्युम्नसिंह राजपूत (PRADYUMANSINGH RAJPUT) के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम वीरपाल गिरासे (VIRPAL GIRASE) व वैशाली गिरासे (VAISHALI GIRASE) ही लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(वीरपाल गिरासे)
पिता– चेन सिंह
वैशाली पति– वीरपाल गिरासे
निवासी– 125, परिवहन नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1661)

CHANGE OF NAME

I Hereby declare that my correct name and surname is Shobha Pokharna, but in some of my documents and share certificates my name and surname is written as Shobha Devi Jain, Shobhadevi Jain and some where Shobha Anil Pokharna, so I want to correct or same my surname's everywhere. Henceforth my name and surname shall be read and written as Shobha Pokharna for all purposes.

Old Name
(Shobha Devi Jain)

New Name
(Shobha Pokharna)
Add.- 224/225, Textile Clerk Colony,
Bhandari Hospital Ke Pass, Indore (M.P.).

(G-1662)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत्)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेटेलाइट कार्पोरेशन, पता– 405, अपोलो टॉवर 2, एम.जी. रोड इन्दौर (म.प्र.) में श्री मंयक डोसी पिता श्री शरद डोसी एवं श्री आशीष धौंस पिता श्री रविशंकर धौंस दिनांक 11 सितम्बर 2025 को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं.

मेसर्स सेटेलाइट कार्पोरेशन

1. **मयंक डोसी**
2. **शरद डोसी**
3. **आशीष घौंस**
(भागीदार)

(G-1663)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 72 के तहत्)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स 3एम रियलटी डेवलपर्स, पता– सर्वे नं. 332/4/2, आर.डी. उघोग नगर, पाल्दा, इन्दौर (म.प्र.) में से श्री शुभ अग्रवाल पिता श्री मनीष अग्रवाल, सौम्य प्रकाश अग्रवाल पिता श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री राजेश बंसल पिता श्री यशंवत कुमार बंसल ने दिनांक 05 सितम्बर 2025 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है. मंयक डोसी पिता श्री शरद डोसी एवं श्री दिलीप कुमार जैन पिता श्री महेन्द्र कुमार जैन एवं श्री मिकेश जैन पिता श्री दिलीप कुमार फर्म में शेष साझेदार हैं.

मेसर्स 3एम रियलटी डेव्लपर्स

1. **दिलीप कुमार जैन**
2. **मंयक डोसी**
3. **मिकेश जैन**
(भागीदार)

(G-1664)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स सत्य विजय सेल्स एंड सर्विस, पता–प्लॉट नंबर 01, जगराम नगर, चेतक ब्रिज के पास (आई.एस.बी.टी.) होशंगाबाद रोड, भोपाल रजिस्ट्रेशन नंबर–120 दिनांक 21.01.1999 को पंजीयन कराया गया है. फर्म के भागीदारों श्री प्रवीण कुमार शर्मा एवं श्री दिशाराम शर्मा के मध्य के बीच डीड दिनांक 25.08.1998 को बनाई गयी थी. दिनांक 28.03.2006 को श्री दिशाराम शर्मा, निवासी– शर्मा बिल्डिंग, हमीदिया रोड, भोपाल निधन हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक् किया गया, दिनांक 28.03.2006 को श्रीमती मीरा कटारे पत्नी स्व. श्री सत्यदेव कटारे, निवासी–118–C, कैलाश नगर, शांति निकेतन, भोपाल को भागीदारी फर्म में शामिल किया गया. दिनांक 28.03.2008 को श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री तेज स्वरूप शर्मा का निधन हो जाने के कारण भागीदारी फर्म का दिनांक 28.03.2008 को ही विघटन हो गया.

मेसर्स सत्य विजय सेल्स एंड सर्विस

मीरा कटारे
(भागीदार)
निवासी–118–C, कैलाश नगर, शांति निकेतन, भोपाल

(G-1665)

नाम परिवर्तन

मैं, सचिन चावरे पिता श्री प्रेमचंद चावरे, मेरी दसवी की अंकसूची मे मेरा नाम सचिन चावरे (SACHIN CHAWRE) है, जबकि हायर सेकेंडरी, स्नातक एवं विधि स्नातक (एल.एल.बी) की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम सचिन कुमार चावरे (SACHIN KUMAR CHAWRE) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों मे मेरा नाम सचिन चावरे (SACHIN CHAWRE) है. सचिन चावरे एवं सचिन कुमार चावरे दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सचिन चावरे (SACHIN CHAWRE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सचिन कुमार चावरे)

(SACHIN KUMAR CHAWRE)

नया नाम

(सचिन चावरे)

(SACHIN CHAWRE)

पिता– स्व. श्री प्रेमचंद चावरे

निवासी– रामकृष्ण परमहंस, वार्ड मंगलनगर,

जिला कटनी (म.प्र.).

(G-1666)

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता सपरा (Sangita Sapra) पत्नी श्री मनोज कुमार सपरा, मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम संगीता बत्रा (Sangita Batra) अंकित है एवं शेयर सर्टिफिकेट्स में संगीता (Sangita) तथा अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम संगीता सपरा (Sangita Sapra) है, जो कि सही है. संगीता सपरा (Sangita Sapra) संगीता (Sangita) एवं संगीता बत्रा (Sangita Batra) एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे संगीता सपरा (Sangita Sapra) के नाम से ही सभी दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(संगीता सपरा)

(Sangita Sapra).

(G-1667)

नाम परिवर्तन

मैं, गजाला खान (GHAZALA KHAN) पत्नी श्री गनी अहमद खान (GHANI AHMAD KHAN). मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है. मेरे पुत्र गुफरान अहमद खान (GHUFRAN AHMED KHAN) के सभी दस्तावेजों में माता के नाम में गजाला खान (GHAZALA KHAN) अंकित कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों मेरा नाम में त्रुटिवश से गजाला अहमद खान (GHAZALA AHMAD KHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में माता का नाम गजाला खान (GHAZALA KHAN) के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(गजाला खान)

(GHAZALA KHAN).

(G-1668)

नाम परिवर्तन

मैं, वनिता विंचुरकर (Vanita Vinchurakar) पत्नी श्री सुरेश विंचुरकर (Suresh Vinchurakar), मेरा नाम सभी दस्तावेजों में वनिता विंचुरकर (Vanita Vinchurakar) है. आधार कार्ड एवं कुछ दस्तावेजों में अनीता विंचुरकर (Anita Vinchurakar) पत्नी श्री सुरेश विंचुरकर (Suresh Vinchurakar) अंकित हो गया है. अनीता विंचुरकर (Anita Vinchurakar) एवं वनिता विंचुरकर (Vanita Vinchurakar) दोनों एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में वनिता विंचुरकर (Vanita Vinchurakar) पत्नी श्री सुरेश विंचुरकर (Suresh Vinchurakar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनीता विंचुरकर)	**(वनिता विंचुरकर)**
(Anita Vinchurakar)	(Vanita Vinchurakar)
	पत्नी– श्री सुरेश विंचुरकर
(G-1669)	(W/o. Suresh Vinchurakar).

नाम परिवर्तन

मेरे कुछ दस्तावेजों जैसे डी मेट अकाउंट में मेरा नाम ज़ीनत कौसर पति सैयद मिन्हाज अहमद (Zeenat Kausar W/o. Sayed Minhaj Ahmad) दर्ज है. मेरा नाम बदलकर अब ज़ीनत कौसर सैयद पति सैयद मिन्हाज अहमद (Zeenat Kausar Sayed W/o. Sayed Minhaj Ahmad) हो गया है. जो मेरे दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि पर दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ज़ीनत कौसर सैयद पति सैयद मिन्हाज अहमद (Zeenat Kausar Sayed W/o. Sayed Minhaj Ahmad) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ज़ीनत कौसर)	**(ज़ीनत कौसर सैयद)**
(Zeenat Kausar)	(Zeenat Kausar Sayed)
	निवासी– 188, ओल्ड सेक्टर, ग्रीन पार्क कॉलोनी,
(G-1670)	धार रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मैं घनश्याम, घनश्याम आनियां एवं राधेश्याम पिता कालूराम प्रजापत (Ghanshyam, Ghanshyam Aaniya and Radheshyam S/o. Kaluram Prajapat) के नाम से जाना–पहचाना जाता था. अब मैंने अपना नाम बदलकर घनश्याम प्रजापत पिता कालूराम प्रजापत (Ghanshyam Prajapat S/o. Kaluram Prajapat) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम घनश्याम प्रजापत पिता कालूराम प्रजापत (Ghanshyam Prajapat S/o. Kaluram Prajapat) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(घनश्याम, घनश्याम आनियां)	**(घनश्याम प्रजापत)**
एवं राधेश्याम)	(Ghanshyam Prajapat)
(Ghanshyam, Ghanshyam Aaniya	निवासी– 25/2, चंद्रभागा, जुनी इन्दौर,
and Radheshyam)	जिला इन्दौर (म.प्र.).
(G-1671)	

नाम परिवर्तन

मैं, नाम ब्रजेंद्र सिंह पुत्र श्री फौजदार सिंह भदौरिया, निवासी– 194, गोवर्धन कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.). त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम ब्रजेंद्र सिंह पुत्र श्री फौजदार सिंह भदौरिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम ब्रजेंद्र सिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ब्रजेंद्र सिंह भदौरिया)

नया नाम
(ब्रजेंद्र सिंह)
पुत्र– श्री फौजदार सिंह भदौरिया.

(G-1672)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स आहूजा ऑटो पार्ट्स भारतीय भागीदारी फर्म 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक–753 व पंजीयन दिनांक 07–03–1990 तथा पता– 9/2, किबे कंपाउंड, छोटी ग्वालटोली चौराहा, इन्दौर, जिला इन्दौर है. जिसमे विलेख दिनांक 22–08–2014 के अनुसार फर्म में दो भागीदार 1. श्री नारायण दास आहूजा पिता श्री जेऊमल आहूजा 2. श्री रवि कुमार आहूजा पिता श्री लख्मीचंद आहूजा थे. दिनांक 05–05–2025 को फर्म में एक नये भागीदार 1. श्री गोपाल दास आहूजा पिता श्री नारायण दास आहूजा सम्मिलित हो गए तथा फर्म का पता बदलकर नया पता– 12/ए किबे कंपाउंड छोटी ग्वालटोली, इन्दौर हो गया है. वर्तमान में फर्म में कुल तीन भागीदार है जो इस प्रकार हैं :– 1. श्री नारायण दास आहूजा पिता श्री जेऊमल आहूजा 2. श्री रवि कुमार आहूजा पिता श्री लख्मीचंद आहूजा 3. श्री गोपाल दास आहूजा पिता श्री नारायण दास आहूजा हैं.

मेसर्स आहूजा ऑटो पार्ट्स
1. रवि कुमार आहूजा
2. नारायण दास आहूजा
3. गोपाल दास आहूजा
(भागीदार)
पता– 401, 4th फ्लोर, एन.आर.के. माणिक,
व्यू माणिक बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1673)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स गंगोत्री टिम्बर्स पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0373–25 व पंजीयन दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तथा पता– 501/3/15 जी.एन.टी. मार्केट, धार रोड, इन्दौर, जिला इन्दौर है जिसमे प्रथम विलेख दिनांक 01 अप्रैल 2012 के अनुसार फर्म में 4 भागीदार 1. श्री देवजी भाई पिता श्री करसन भाई पटेल 2. श्री हर्षिल पटेल पिता श्री नरेश पटेल 3. श्री कमलेश भाई पटेल पिता श्री देवजी भाई पटेल 4. रमिला बेन पति देवजी भाई पटेल थे. दिनांक 19 जनवरी 2026 को फर्म में दो नए भागीदार 1. श्री जुगल पटेल पिता श्रीकमलेश पटेल 2. श्री अवधेश पटेल पिता श्रीकमलेश पटेल सम्मिलित हो गए तथा इसी दिन फर्म से तीन भागीदार 1. श्री देवजी भाई पिता श्री करसन भाई पटेल 2. श्री हर्षिल पिता श्री नरेश पटेल 3. रमिला बेन पति देवजी भाई पटेल प्रथक् हो गए हैं अतः वर्तमान में फर्म में कुल तीन भागीदार शेष हैं, जो इस प्रकार हैं: 1. श्री कमलेश भाई पटेल पिता श्री देवजी भाई पटेल 2. श्री जुगल पिता श्रीकमलेश पटेल 3. श्री अवधेश पिता श्रीकमलेश पटेल हैं.

मेसर्स गंगोत्री टिम्बर्स
1. कमलेश भाई पटेल
2. जुगल
3. अवधेश
(भागीदार)
पता– 27, श्री हरि सोसाइटी,
धार रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1674)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजी बाई (RAJI BAI) है, जो कि मेरे पति के पी.पी.ओ, डिस्चार्ज पेपर आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम रज्जो बाई दर्ज है, जो कि गलत है. रज्जो बाई और राजी बाई दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रज्जो बाई (RAJJO BAI) के स्थान पर राजी बाई (RAJI BAI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रज्जो बाई)

(RAJJO BAI)

नया नाम

(राजी बाई)

(RAJI BAI)

पत्नी– श्री गयाप्रसाद (GYAPRASAD)

निवासी– कबीर मंदिर के पास, इन्द्रानगर,

हजीरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1675)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मानसिंह (MANSINGH) है, जो कि मेरे रजिस्ट्री, बैक की पास बुक, खसरा आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम मुरारी दर्ज है. मुरारी और मानसिंह दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मुरारी (MURARI) के स्थान पर मानसिंह (MANSINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(मुरारी)

(MURARI)

नया नाम

(मानसिंह)

(MANSINGH)

पिता– श्री बिशुनलाल (BISHUNLAL)

निवासी– ग्राम जिगिनिया जखारा,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1676)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कार्तिक कुशवाह (KARTIK KUSHWAH) है, जो कि मेरी मार्कशीट, जन्म प्रमाण–पत्र और आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा नाम कृष्णा दर्ज है, जो कि गलत है. कृष्णा और कार्तिक कुशवाह दोनो ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णा (KRISHNA) के स्थान पर कार्तिक कुशवाह (KARTIK KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कृष्णा)

(KRISHNA)

नया नाम

(कार्तिक कुशवाह)

(KARTIK KUSHWAH)

पिता– श्री जसराज सिंह (JASRAJ SINGH)

निवासी– ग्राम गडरोली, पोस्ट बेहट,

जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1677)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम श्रीकृष्णना (SHRIKRISHNA) है, जो कि मेरी मार्कशीट, बैक की पास बुक, जन्म प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दीपक सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है, दीपक सिंह और श्रीकृष्णना दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दीपक सिंह (DEEPAK SINGH) के स्थान पर श्रीकृष्णना (SHRIKRISHNA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दीपक सिंह)
(DEEPAK SINGH)

नया नाम
(श्रीकृष्णना)
(SHRIKRISHNA)
पिता– श्री पानसिंह (PANSINGH)
निवासी– बैंक कॉलोनी, बडागॉव,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1678)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सकुन्ना देवी (SAKUNA DEVI) है, जो कि मेरे पति के पेंशन के पी.पी.ओ, रजिस्ट्री, बैंक की पास बुक, खसरा और आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सगुना बाई अंकित हो गया है. सगुना बाई सकुन्ना देवी दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सगुना बाई (SAGUNA BAI) के स्थान पर सही नाम सकुन्ना देवी (SAKUNA DEVI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(सगुना बाई)
(SAGUNA BAI)

नया नाम
(सकुन्ना देवी)
(SAKUNA DEVI)
पति– स्व. श्री कालीचरण (KALEECHARAN)
निवासी– भोला चौक, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1679)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संपत बाई था, जो कि अब बदलकर गोरी बाई (GORI BAI) पति देवीसिंह (DAVISINGH) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संपत बाई)
(SAMPAT BAI)

नया नाम
(गोरी बाई)
(GORI BAI)
पति– देवीसिंह (DAVISINGH)
निवासी– 127, शिवनगर, जोशीगुराडिया,
खण्डवा रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1680)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आनंद था, जो कि अब बदलकर आनंदी साहू पति अजय साहू कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(आनंद)
(ANAND)

नया नाम
(आनंदी साहू)
(ANANDI SAHU)
पति– अजय साहू
निवासी– 983, न्यू गोरी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1681)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम शैला उंटवाले था, जो कि अब बदलकर शैलजा उंटवाले पति सुधीर उंटवाले कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शैला उंटवाले)

नया नाम
(शैलजा उंटवाले)
पति– सुधीर उंटवाले
निवासी– 99–बी, सिलिकोन सिटी,
राउ, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1682)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अंगूरी खातून था, जो कि अब बदलकर अमरीन खातुन अंसारी पिता मोहम्मद राजहुसैन जैनुल अंसारी कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंगूरी खातून)

नया नाम
(अमरीन खातुन)
पिता– मोहम्मद राजहुसैन जैनुल अंसारी
निवासी– 58/2, मोती तबेला, मिल्लत नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1683)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शिबू अब्राहाम मनालिल (SHIBU ABRAHAM MANALIL) है, जो कि मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड पर अंकित है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शिबू अब्राहाम (SHIBU ABRAHAM) दर्ज है. मैं, अपना नाम परिवर्तन कर शिबू अब्राहाम मनालिल (SHIBU ABRAHAM MANALIL) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शिबू अब्राहाम)
(SHIBU ABRAHAM)

नया नाम
(शिबू अब्राहाम मनालिल)
(SHIBU ABRAHAM MANALIL)
निवासी– म.नं. जी–1/60, गुलमोहर कॉलोनी,
अरेरा कॉलोनी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1684)

नाम परिवर्तन

मैं, बद्रीप्रसाद आत्मज श्री कैलाश अहिरवार, निवासी– किशनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र महेश कुमार जिसका जन्म प्रमाण–पत्र में महेश कुमार दर्ज है, जो कि त्रुटिवश अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम विक्रम अहिरवार दर्ज हो गया हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को महेश कुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बद्रीप्रसाद)
आत्मज– श्री कैलाश अहिरवार
निवासी– किशनपुर, तहसील सोहागपुर,
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.).

(G-1685)

उपनाम परिवर्तन

मैं, विजेता सिह पत्नी श्री जय प्रकाश शर्मा, निवासी– 43–ए, रजत बिहार, भोपाल, तह. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्रीयों के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश (माता का नाम) विजेता शर्मा नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम विजेता सिंह पत्नी श्री जय प्रकाश शर्मा है, जो कि मेरे सभी प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज हैं. जिसे मैं, अपनी पुत्रीयों के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(विजेता सिंह)

पत्नी– श्री जय प्रकाश शर्मा.

(G-1686)

नाम परिवर्तन

मैं, देवा बाई पत्नी श्री ओमप्रकाश, निवासी– वार्ड नं. 08, सक्सेना का पुरा, बानमोर, बामौर खुर्द, तहसील बानमोर, जिला मुरैना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दिवा राजपूत (DIVA RAKPUT) अंकित हो गया है जो कि गलत है, मेरा सही नाम वोटर आई.डी., सर्विस बुक, जी.पी.एफ., पासबुक, आदि में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे देवा बाई (DEVA BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दिवा राजपूत)	**(देवा बाई)**
(DIVA RAKPUT)	(DEVA BAI)

पत्नी– श्री ओमप्रकाश.

(G-1687)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन सिंह दांगी पिता श्री जगत सिंह, निवासी–ग्राम लहटवास, बीना, लेहटवास, अगसौद, सागर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आरेंस दांगी पिता श्री अर्जुन दांगी (AARENS DANGI S/o. ARJUN DANGI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन दांगी पिता श्री अर्जुन सिंह दांगी (ARYAN DANGI S/o. ARJUN SINGH DANGI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अर्जुन सिंह दांगी).

(G-1688)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र सिंह पिता श्री मोहन सिंह, निवासी– म.नं. 239, वार्ड नं. ००, तलाब मोहल्ला, महेश्वर, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मनी धाकड पुत्री श्री महेन्द्र सिंह (MANI DHAKAR D/o. MAHENDRA SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम माही धाकड पुत्री श्री महेन्द्र सिंह (MAHI DHAKAD D/o. MAHENDRA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1689) **(महेन्द्र सिंह).**

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम M/s. Virat enterprise & company" जिसका रजिट्रेशन नंबर 06–09–01–0142–24 दिनांक 19 मार्च 2024 एवं फर्म का पता– म.नं. 13/3 सदर बाजार, सागर (म.प्र.) 470002 में स्थित है जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव पिता श्री छोटेलाल श्रीवास्तव एवं श्री अब्दुल सोहेल पिता श्री अब्दुल गफ्फार शेख है तथा आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को श्री मुकुल श्रीवास्तव पिता श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव आयु 19 वर्ष निवासी– म.नं. 13/3 सदर बाजार, सागर (म.प्र.) भागीदारी फर्म में सम्मलित हो गये हैं तथा आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को ही श्री अब्दुल सोहेल पिता श्री अब्दुल गफ्फार शेख अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से प्रथक् हो गये हैं उक्त विषय हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो कृपया कर निम्नलिखित नंबर पर सूचित करें.

M/s. Virat enterprise & company

श्याम बिहारी श्रीवास्तव

(भागीदार).

(G-1690)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम पवार पुत्र श्री महेन्द्र पवार, निवासी– ग्राम रासलाखेडी, पशु बजार के सामने, विदिशा रोड, भानपुर, भोपाल (म.प्र.). गार्गी पवार मेरी पुत्री का सही नाम है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी., शैक्षणिक दस्तावेजों में गार्गी पवार नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को भविष्य में गार्गी पवार के नाम से सभी अन्य दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विक्रम पवार)

(G-1691)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती कलावती देवी उर्फ़ चन्द्र किशोरी मिश्रा पत्नी श्री अंजनी कुमार मिश्रा, निवासी– म. क्र. 181–बी, सेक्टर सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार, भोपाल (म.प्र.). मुझे पूर्व में मेरा नाम चन्द्र किशोरी एवं कलावती देवी मिश्रा के नाम से जाना–पहचाना जाता था, अब मैंने अपनी स्वेच्छा अपना नाम कलावती देवी मिश्रा रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, न्यायालयीन एवं निजी कार्य उक्त परिवर्तित नाम से ही संपादित किए जावे.

पुराना नाम

(चन्द्र किशोरी एवं कलावती देवी मिश्रा)

नया नाम

(कलावती देवी मिश्रा).

(G-1692)

नाम परिवर्तन

मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम मधु देवी लखेरा उर्फ मधु देवी, मधु लखेरा अंकित है. जबकि मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं हायर सेकेण्ड्री मार्कशीट इत्यादि में मधु देवी लखेरा अंकित है. अब मेरा सही नाम मधु देवी लखेरा पुत्री स्व. श्रीमती पार्वती बाई एवं पिता स्व. श्री धन्नालाल लखेरा किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मधु देवी लखेरा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मधु देवी लखेरा उर्फ मधु देवी, मधु लखेरा)

नया नाम

(मधु देवी लखेरा).

pMadhu Devi Lakhera

निवासी– नियर चॉदबाडी म.नं. 118, प्रीत कॉलोनी, छोला रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-1693)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म शिव शक्ति राइस मिल, पता– सलकनपुर रोड, ग्राम विपदा, सीहोर 466446 जिसका पंजीयन 01–02–01–0272–20 दिनांक 18 नवम्बर 2020 सन् 2020–2021 पर कार्या. रजिस्ट्रार फर्म संस्थाएं भोपाल में पंजीकृत है. फर्म में भागीदार 1. रोहित बंसल पुत्र श्री राजीव बंसल 2. राजकुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश 3. श्रीमती डिम्पल पत्नी श्री राजीव कुमार है. दिनांक 1 नवम्बर 2023 को भागीदार फर्म में परिवर्तन किया गया है, जिसमें श्री वासु गर्ग पुत्र श्री अजयकुमार आयु 18 वर्ष निवासी–म.नं. 21, रेवा सिटी, हरदा, बायपास रोड, नर्मदापुरम् 461001 2. श्रीमती मंजु गर्ग पत्नी श्री विनोदकुमार गर्ग आयु 56 वर्ष रेवा सिटी हरदा बायपास रोड, नर्मदापुरम् 461001 (म.प्र.) फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 1 नवम्बर 2023 को ही श्री रोहित बंसल पुत्र श्री राजीव बंसल, निवासी 10/86, ओरियंट कालोनी, बुधनी, जिला सीहोर 466445 फर्म से स्वेच्छा से निवृत हो रहे हैं. अतः उपरोक्तानुसार अब से फर्म का संचालन चारों भागीदारों क्रमशः श्री राजकुमार, श्रीमती डिम्पल, श्री वासु गर्ग तथा श्रीमती मंजू गर्ग द्वारा किया जावेगा.

फर्म शिव शक्ति राइस मिल

1. राजकुमार
2. डिम्पल
3. वासु गर्ग
4. मंजू गर्ग

(भागीदार).

(G-1694)

नाम परिवर्तन

मैं, देवसिंह राजपूत पिता रतन सिंह, निवासी– ग्राम टिटवास, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम (दक्ष राजपूत Daksh Rajpoot) दर्ज हो गया था, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में मेरे पुत्र का नाम तरूण राजपूत (Tarun Rajpoot) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम तरूण राजपूत (Tarun Rajpoot) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(देवसिंह राजपूत).

(G-1695)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार पांडेय पिता श्री रामानुज पांडेय, निवासी– ग्राम बडी भरोली, पोस्ट इटहरा, थाना अमदरा, तहसील जिला मैहर (म.प्र.). मेरे पुत्र शिवम पांडेय का नाम आधार कार्ड में प्रशांत पांडेय दर्ज है, जबकि जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी., शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम शिवम पांडेय ही है. ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरानत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में प्रशांत पांडेय पुत्र अनिल कुमार पांडेय के स्थान पर सही नाम शिवम पांडेय पुत्र अनिल कुमार पांडेय के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अनिल कुमार पांडेय).

(G-1696)

Change Of Name

I, Anita Munshiram, wife of Munshiram, resident of Flat No. 302, 3rd Floor, Block No. 09, Soumya Park Land, Avadhpuri, Bhopal, hereby declare that my name is recorded as Anita Munshiram in all my government documents and other records. I am also known and identified as ANUSHREE and this is the name in government records as well. I have changed my name from Anita Munshiram to ANUSHREE and will henceforth be known and identified by this new name.

Old Name

(Anita Munshiram)
W/o. Munshiram

New Name

(ANUSHREE).

(G-1697)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लल्लूराम (LALLURAM) पिता श्री पुरनलाल, निवासी– 107/2, परदेशीपुरा रोड नं. 2, इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लल्लूभाई (LALLUBHAI) दर्ज हो गया है, किन्तु मेरे परिचय–पत्र व मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम लल्लूराम (LALLURAM) ही दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे लल्लूभाई की जगह लल्लूराम (LALLURAM) पिता पुरनलाल के नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लल्लूभाई)	**(लल्लूराम)**
(LALLUBHAI)	(LALLURAM).

(G-1698)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी (AABID HUSSAIN ANSARI) पिता ऐनुल हक, निवासी– 21, अनार बाग, खजराना, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र मोहम्मद जुल्फिकार अंसारी (MOHD ZULFIKAR ANSARI) की सी.बी.एस.सी. बोर्ड की अंकसूची में मेरे पुत्र का नाम मोहम्मद जुल्फिकार अंसारी पिता आबिद अंसारी दर्ज है, जो कि गलत है, मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है. आबिद अंसारी (AABID ANSARI) और आबिद हुसैन अंसारी (AABID HUSSAIN ANSARI) एक ही व्यक्ति का नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र की अंकसूची में मेरा नाम आबिद अंसारी की जगह आबिद हुसैन अंसारी (AABID HUSSAIN ANSARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आबिद अंसारी)	**(आबिद हुसैन अंसारी)**
(AABID ANSARI)	(AABID HUSSAIN ANSARI).

(G-1699)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्य सिंह चौहान (Lakshya Singh Chauhan) पुत्र श्री गणेश सिंह चौहान, निवासी–महाराणा प्रताप कॉलोनी, शिवपुरी, तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.). मेरी कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में मेरी माता का नाम अनिता चौहान (Anita Chauhan) दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी माता का सही नाम चांदनी चौहान (Chandni Chouhan) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं उनके आधार कार्ड में भी दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में मेरी माता का सही नाम चांदनी चौहान (Chandni Chouhan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लक्ष्य सिंह चौहान)	**(लक्ष्य सिंह चौहान)**
(Lakshya Singh Chauhan)	(Lakshya Singh Chauhan)
माता का नाम – अनिता चौहान	माता का नाम – चांदनी चौहान
(Anita Chauhan)	(Chandni Chouhan)

(G-1700)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अनुष्का पटेल पिता संतोष पटेल है, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश खुशबु पटेल पिता संतोष पटेल (KHUSHBU PATEL D/o. SANTOSH PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का पटेल पिता संतोष पटेल (ANUSHKA PATEL D/o. SANTOSH PATEL) उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनुष्का पटेल पिता संतोष पटेल (ANUSHKA PATEL D/o. SANTOSH PATEL) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संतोष पटेल)

पिता– मनोहर लाल पटेल.

(G-1701)

नाम परिवर्तन

मेरा विवाह के पूर्व का नाम कंचन हेमनानी पुत्री श्री रमेश हेमनानी, निवासी–म.नं. 10/7, नियर साधु वासवानी स्कूल, बैरागढ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम हियाना हेमनानी पत्नी श्री दिनेश हेमनानी पुत्री श्री रमेश हेमनानी हो गया है. मेरे पहचान–पत्र एवं, आधार कार्ड में मेरा नाम एवं पता दर्ज है. कंचन हेमनानी एवं हियाना हेमनानी दोनों एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे हियाना हेमनानी पत्नी श्री दिनेश हेमनानी पुत्री श्री रमेश हेमनानी के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कंचन हेमनानी)

नया नाम

(हियाना हेमनानी)

पत्नी– श्री दिनेश हेमनानी

पुत्री– श्री रमेश हेमनानी.

(G-1702)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम वेदांत पाठक पिता प्रशांत मोहन पाठक (VEDANT PATHAK S/o. PRASHANT MOHAN PATHAK), निवासी वार्ड नं.–36, चौबे कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम हर्षवर्धन पाठक पिता प्रशांत मोहन पाठक (HARSHVARDHAN PATHAK S/o. PRASHANT MOHAN PATHAK) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम वेदांत पाठक पिता प्रशांत मोहन पाठक (VEDANT PATHAK S/o. PRASHANT MOHAN PATHAK) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम वेदांत पाठक पिता प्रशांत मोहन पाठक (VEDANT PATHAK S/o. PRASHANT MOHAN PATHAK) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रशांत मोहन पाठक)

(PRASHANT MOHAN PATHAK)

पिता– श्री विजय कुमार पाठक.

(G-1703)

नाम परिवर्तन

मैं, मितुल राय पिता श्री विनोद राय, निवासी– बी–19, सम्रद्धि सफायर, हिनोतिया आलम, बैरागढ़ चिचली, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम शिवांश राय (SHIVANSH RAI) हैं, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है, जो कि सही है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश उसका नाम बलविंदर सिंह (BALWINDER SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अत प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश राय पिता मितुल राय (SHIVANSH RAI S/o. MEETUL RAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मितुल राय)

पिता– श्री विनोद राय.

(G-1704)

नाम परिवर्तन

मैं, फातमा पत्नी जाहिद, निवासी– 541, जवाहर कॉलोनी, ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम फातमा, फातमा बी, रूबी पत्नी मोहम्मद जाहिद, मो. जायद लिखा है, जबकि मेरा सही नाम फातमा पत्नी जाहिद है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे फातमा पत्नी जाहिद के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूबी, फातमा बी)	**(फातमा)**
पत्नी– मोहम्मद जाहिद, मो. जायद	पत्नी– जाहिद.

(G-1705)

नाम परिवर्तन

मैं, राजवीर सिंह कुशवाह पिता श्री बदन सिंह कुशवाह, निवासी– ग्राम चेनपुरा, ग्राम पंचायत बगवाज, तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में नवनीती कुशवाह है. आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गुनगुन कुशवाह अंकित हो गया है, जो गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को नवनीती कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1706) **(राजवीर सिंह कुशवाह)**

नाम परिवर्तन

मैं, सपना पति स्व. राजाराम, निवासी – 14, ग्राम दिनकरपुरा, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.). मेरी अंकसूची में मेरा नाम पूर्णिमा दर्ज है. पैनकार्ड, समग्र आई.डी., वोटर आई.डी. एवं आधार कार्ड में मेरा नाम सपना दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सपना के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सपना)

(G-1707) पति– स्व. राजाराम.

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रेनू गिरी पत्नी श्री सुरेश गिरी (RENU GIRI W/o. SURESH GIRI), निवासी– म.नं. 163, वल्लभ भवन, फिल्टर प्लॉट मजार के पास, भीमनगर, हुजूर, सतपुरा, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश सुमित्रा पत्नी श्री सुरेश गिरी (SUMITRA W/o. SURESH GIRI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रेनू गिरी पत्नी श्री सुरेश गिरी (RENU GIRI W/o. SURESH GIRI) वोटर कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रेनू गिरी पत्नी श्री सुरेश गिरी (RENU GIRI W/o. SURESH GIRI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुमित्रा)	**(रेनू गिरी)**
(SUMITRA)	(RENU GIRI)
	पत्नी– श्री सुरेश गिरी
(G-1708)	(W/o. SURESH GIRI).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नाज़नी बी पुत्री महफूज़ अली, निवासी– म.नं. 12, इस्लामीगेट, शाहजानाबाद, भोपाल (म.प्र.) है, जो सही है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मीनाक्षी धाकड़ पत्नी धन्नालाल धाकड अंकित गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम नाज़नी बी पुत्री महफूज़ अली है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नाज़नी बी पुत्री महफूज़ अली के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(नाज़मी बी)

(NAZNI)

पुत्री– महफूज़ अली

(D/o. MEHFUZ ALI).

(G-1709)

नाम परिवर्तन

मैं, दिग्विजय सिंह सोलंकी (DIGVIJAY SINGH SOLANKI) पिता हरि सिंह सोलंकी (HARI SINGH SOLANKI), निवासी– ग्राम पोस्ट रुनाहा, तहसील बेरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश शैक्षणिक दस्तावेजों में अनिरुद्ध प्रताप सिंह सोलंकी (ANIRUDH PRATAP SINGH SOLANKI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अनिरुद्ध सिंह सोलंकी (ANIRUDH SINGH SOLANKI) पिता दिग्विजय सिंह सोलंकी (DIGVIJAY SINGH SOLANKI) है, जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अनिरुद्ध सिंह सोलंकी (ANIRUDH SINGH SOLANKI) पिता दिग्विजय सिंह सोलंकी (DIGVIJAY SINGH SOLANKI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिग्विजय सिंह सोलंकी)

(DIGVIJAY SINGH SOLANKI).

(G-1710)

नाम परिवर्तन

मेरे एस.बी.आई. लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी के नामिनी डिटेल में मेरा नाम Sapna Masin अंकित है. जिसे मैं, वर्तमान में अपना नाम "Smrati Sapna Masih" कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे "Smrati Sapna Masih" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(Sapna Masin)

नया नाम

(Smrati Sapna Masih)

पति– न्युटन मसीह

निवासी– 32, ब्लाक सी, सेन्ट मैरी स्कूल मार्ग,

कुन्दन नगर, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.).

(G-1711)

नाम परिवर्तन

मैं, मंजुला गोस्वामी पति दीपक गोस्वामी, निवासी– ग्राम एकलबारा, जिला धार (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश "वीणा गोस्वामी" अंकित हो गया है, जबकि उसका सही नाम "वेदिका गोस्वामी" है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को "वीणा गोस्वामी" के स्थान पर सही नाम ''वेदिका गोस्वामी'' के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(मंजुला गोस्वामी).

(G-1712)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरव अग्रवाल पिता प्रहलाद अग्रवाल, निवासी– म.नं. 30, वार्ड क्रमांक 17, चंचल चौराहा, बड़वानी (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश "झील एवं पिता का नाम गौरव" अंकित हो गया है, जबकि उसका सही नाम "झील अग्रवाल एवं पिता का नाम गौरव अग्रवाल " है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को "झील एवं पिता गौरव" के स्थान पर सही नाम झील अग्रवाल एवं पिता गौरव अग्रवाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गौरव अग्रवाल)

(Gourav Agrawal).

(G-1713)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश "कुसुम जमरा" अंकित हो गया है, जिसे परिवर्तित कर मैंने अपना नाम "विजय कुमार खंडेलवाल" कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे "विजय कुमार खंडेलवाल" के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कुसुम जमड़ा)

नया नाम

(विजय कुमार खंडेलवाल)
पिता– रामगोपाल खंडेलवाल
निवासी– धार रोड मनावर,
तह. मनावर, जिला धार (म.प्र.).

(G-1714)

आम सूचना

फर्म ITARSI AGRO OVERSEAS के भागीदार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म का पंजीयन कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01–07–10–0295–20, दिनांक 28 नबम्बर 2020 पर पंजीयत है. उक्त फर्म में पंजीकृत भागीदारी विलेख दिनांक 09 नवम्बर 2019 में भागीदार क्रमांक 1 श्री रोहित मेघानी एवं भागीदार क्रमांक 2. श्री शैलेन्द्र बुलानी हैं. फर्म में निष्पादित संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 20 मई 2025 को भागीदार श्री शैलेन्द्र बुलानी द्वारा अपने निजी कारणों से फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली है तथा उक्त दिनांक को ही श्री अंकित बुलानी को नये भागीदार के रूप में विधिवत् रूप से सम्मिलित कर लिया गया है. फर्म में द्वितीय निष्पादित संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 12 अगस्त 2025 को भागीदार श्री रोहित मेघानी द्वारा अपने निजी कारणों से फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली है तथा उक्त दिनांक को ही श्रीमती निकिता धमेजा को नये भागीदार के रूप में विधिवत् रूप से सम्मिलित कर लिया गया है. अतः उपरोक्तानुसार अब से भागीदारी फर्म का संचालन भागीदार श्री अंकित बुलानी पिता श्री नरेन्द्र बुलानी एवं श्रीमती निकिता धमेजा पति श्री शैलेन्द्र बुलानी द्वारा किया जावेगा.

फर्म ITARSI AGRO OVERSEAS

अंकित बुलानी
निकिता धमेजा
(भागीदार).

(G-1715)

उपनाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम पिंकी पटेल (PINKI PATEL) पिता श्री मांगीलाल पटेल था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजो एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. श्री मोहित दास से विवाह के उपरान्त मेरा नाम पिंकी दास (PINKI DAS) पति श्री मोहित दास हो गया है, जो कि मेरी समग्र पहचान–पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम पिंकी दास (PINKI DAS) पति श्री मोहित दास के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पिंकी पटेल)

(PINKI PATEL)

नया नाम

(पिंकी दास)

(PINKI DAS)

पति– श्री मोहित दास

निवासी– वार्ड नं. 1, देवझिरी कॉलोनी,

सेंधवा, तह. सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.).

(G-1716)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम कासुमी राठौर (KASUMI RATHORE) पिता सुरेन्द्र सिंह राठौर है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कृतिका राठौर (KRATIKA RATHORE) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम कासुमी राठौर (KASUMI RATHORE) पिता सुरेन्द्र सिंह राठौर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुरेन्द्र सिंह राठौर)

निवासी– 133, सामेडा समेदा, कसरावद,

जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1717)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अजय वैघ (AJAY VAIDYA) पिता अवधुतराव वैघ (AVADHUTRAV VAIDYA) है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अजय वैद्या (AJAY VAIDYA) पिता अवधुतराव वैद्या (AVADHUTRAV VAIDYA) दर्ज हो गया है एवं मेरे बैंक ऑफ इण्डिया के रिकार्ड में मेरा नाम अजय वैघ (AJAY VAIDHYA) पिता अवधुत वैघ (AVADHUT VAIDHYA) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पिता का सही नाम अवधुतराव वैघ (AVADHUTRAV VAIDYA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में सही नाम अजय वैघ (AJAY VAIDYA) पिता अवधुतराव वैघ (AVADHUTRAV VAIDYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अजय वैद्या)

(AJAY VAIDYA)

पिता– अवधुतराव वैद्या (अवधुत वैघ)

नया नाम

(अजय वैघ)

(AJAY VAIDYA)

पिता– अवधुतराव वैघ

निवासी– 504/पीपीबी ड्रीम सिटी,

तलावली चांदा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1718)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम बबिता मंडल (BABITA MANDAL) पिता श्री रणजीत गोलदार था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे आधार कार्ड में अंकित है, श्री लोकेश सरोदे से विवाह के उपरान्त मेरा नाम बबिता सरोदे (BABITA SARODE) पति लोकेश सरोदे हो गया है, जो मेरे निवासी प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य मे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम बबिता सरोदे (BABITA SARODE) पति लोकेश सरोदे के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(बबिता मंडल)

(BABITA MANDAL)

पिता– रणजीत गोलदार

नया नाम

(बबिता सरोदे)

(BABITA SARODE)

पति– लोकेश सरोदे

निवासी– 74, वक्रतुण्ड नगर, खजराना,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1719)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन जैन (ARYAN JAIN) पिता पिंकेश जैन है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आर्य जैन (AARYA JAIN) पिता पिंकेश जैन दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम आर्यन जैन (ARYAN JAIN) पिता पिंकेश जैन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पिंकेश जैन)

निवासी– 67, जूना पीठा,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1720)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सोबाल सिंह (SOBAL SINGH) पिता राम सिंह है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सौबाल वर्मा (SOBAL VERMA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम सोबाल सिंह (SOBAL SINGH) पिता राम सिंह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सौबाल वर्मा)

(SOBAL VERMA)

नया नाम

(सोबाल सिंह)

(SOBAL SINGH)

पिता– राम सिंह

निवासी– बालापुरा, इछावर,

जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1721)

Change of Name

Hereby declare that, my Child correct name is Sevaram Narve but in my child Aadhaar card In name is written Revaram Narwe I have changed my Child name as Sevaram Narve So from now and in future I will be known as Sevaram Narve.

Old Name

(Revaram Narwe)

New Name

(Sevaram Narve)

Add.- 13, Main Road, Gram-Borwal,
Post Helapadawa,Tehsil Zirniya,
Dist. Khargone (M.P.).

(G-1722)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र कुंज महाजन के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नवल महाजन दर्ज हो गया है, जो कि अपूर्ण तथा गलत है, जबकि मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, समग्र आई.डी. और स्कूल की मार्कशीट व स्कूल आई.डी. कार्ड पर मेरे पुत्र का नाम कुंज महाजन दर्ज है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम कुंज महाजन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनीष महाजन)

निवासी– वार्ड नं. 08, ब्राम्हणपुरी मोहल्ला,
खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1723)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री फातेमा जैनब के आधार कार्ड पर भूलवश नाम खातेमा जैनब दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड, समग्र आई.डी. और स्कूल की मार्कशीट व स्कूल आई. डी. कार्ड में मेरी पुत्री का नाम फातेमा जैनब दर्ज हैं, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम फातेमा जैनब के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अजहर खान)

निवासी– 4, तिलक पथ, मियामान मोहल्ला,
खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1724)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जितेंद्र शर्मा (JITENDRA SHARMA) पिता राम दयाल शर्मा, निवासी– जहाँगीर कटरा, जोशियाना मोहल्ला, गिर्द, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवपाल सिंह (SHIVPAL SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम जितेंद्र शर्मा (JITENDRA SHARMA) पिता राम दयाल शर्मा है, जो कि मेरे ड्रायविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में अंकित है, जो कि सही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त अपने सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम जितेंद्र शर्मा (JITENDRA SHARMA) पिता राम दयाल शर्मा के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शिवपाल सिंह)
(SHIVPAL SINGH)

नया नाम

(जितेंद्र शर्मा)
(JITENDRA SHARMA).

(G-1725)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम आरती कुशवाह (ARTI KUSHWAH) पिता राजेंद्र कुशवाह है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सर्वती शाक्य (SARWATI SHAKYA) पिता राजेंद्र कुशवाह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का नाम आरती कुशवाह (ARTI KUSHWAH) पिता राजेंद्र कुशवाह है, जो उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम आरती कुशवाह (ARTI KUSHWAH) पिता राजेंद्र कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेंद्र कुशवाह)

निवासी– ग्राम दबोहा, पोस्ट दबोहा, दबोहा,
भिण्ड दबोहा, जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-1726)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शिवा चौधरी (SHIVA CHOUDHARY) पति चंद्रपाल चौधरी, निवासी– ग्राम सोंमगाव कलां, पोस्ट सोंमगाव कला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश यमुना चौधरी (YAMUNA CHOUDHARY) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम शिवा चौधरी (SHIVA CHOUDHARY) पति चंद्रपाल चौधरी है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम शिवा चौधरी (SHIVA CHOUDHARY) पति चंद्रपाल चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(यमुना चौधरी)

(YAMUNA CHOUDHARY)

नया नाम

(शिवा चौधरी)

(SHIVA CHOUDHARY).

(G-1727)

नाम परिवर्तन

मैं, भूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. श्री राम प्रकाश विश्वकर्मा, निवासी–वार्ड नं. 12, ग्राम संतटोला, पानी टंकी के पास, पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, बैंक खाता एवं मेरे आर्मी सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम त्रुटिवश भूपेन्द्र कुमार कारपेंटर (BHUPENDRA KUMAR CARPENTER) पुत्र राम प्रकाश कारपेंटर (RAM PRAKASH CARPENTER) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड में भूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (BHUPENDRA KUMAR VISHWAKARMA) पुत्र राम प्रकाश विश्वकर्मा (RAM PRAKASH VISHWAKARMA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम भूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (BHUPENDRA KUMAR VISHWAKARMA) पुत्र राम प्रकाश विश्वकर्मा (RAM PRAKASH VISHWAKARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भूपेन्द्र कुमार कारपेंटर)

(BHUPENDRA KUMAR CARPENTER)

पुत्र– राम प्रकाश कारपेंटर

(RAM PRAKASH CARPENTER)

नया नाम

(भूपेन्द्र कुमार विश्वकर्मा)

(BHUPENDRA KUMAR VISHWAKARMA)

पुत्र– राम प्रकाश विश्वकर्मा

(RAM PRAKASH VISHWAKARMA).

(G-1728)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद रईस खान MOHD RAIS KHAN, पता– म.नं. 3, कबीरा अपार्टमेन्ट, टीलाजमालपुरा, भोपाल (म.प्र.) त्रुटिवश मेरा नाम रईस खान RAHEES KHAN भी अंकित है, जिसे संशोधित किया जाकर सही नाम मोहम्मद रईस खान MOHD RAIS KHAN अंकित कराया जाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मोहम्मद रईस खान MOHD RAIS KHAN के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहम्मद रईस खान)

MOHD RAIS KHAN.

(G-1729)

नाम परिवर्तन

मैं, सुधीर मंडल पुत्र भुवनेश्वर मंडल, निवासी–M/1271, उर्जा नगर, ब्लॉक सी, वार्ड नं. 06, बिजुरी, अनूपपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे छोटे पुत्र का नाम त्रुटिवश नितीस दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम नितेश मंडल (NITESH MANDAL) है, जो कि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम नितेश मंडल (NITESH MANDAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(नितीस)

नया नाम

(नितेश मंडल)

(NITESH MANDAL).

(G-1730)

नाम परिवर्तन

मैं, सुधीर मंडल पुत्र भुवनेश्वर मंडल, निवासी–M/1271, उर्जा नगर, ब्लॉक सी, वार्ड नं. 06, बिजुरी, अनूपपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे बड़े पुत्र का नाम त्रुटिवश सीन्टू दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम रणधीर मंडल (RANDHEER MANDAL) है, जो कि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम रणधीर मंडल (RANDHEER MANDAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सीन्टू)

नया नाम

(रणधीर मंडल)

(RANDHEER MANDAL).

(G-1731)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम यसवीर गुर्जर (YESVEER GURJAR) पिता लोकेन्द्र सिंह, निवासी– तोर, टिकटोली दुमदार, परसोटा, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम एसवीर (ESVEER) पिता लोकेन्द्र सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम यसवीर गुर्जर (YESVEER GURJAR) पिता लोकेन्द्र सिंह है, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नाम यसवीर गुर्जर (YESVEER GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(एसवीर)

(ESVEER)

नया नाम

(यसवीर गुर्जर)

(YESVEER GURJAR).

(G-1732)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम राजनश्री (RAJANSHRI) पति बासदेव, निवासी– ग्राम कुसमार, पोस्ट धरई, अटेर, अटेर, जिला भिंड (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश राजश्री (RAJSHRI) पति बासदेव नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरा नाम राजनश्री (RAJANSHRI) पति बासदेव है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम राजनश्री (RAJANSHRI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजश्री)	(राजनश्री)
(RAJSHRI)	(RAJANSHRI).

(G-1733)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के स्कूल अभिलेख में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम राजा जादव (RAJA JADAV) अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम राजा जाधव (RAJA JADHAV) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरे पुत्र का सही नाम राजा जाधव (RAJA JADHAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पूनमचंद जाधव)

निवासी– ग्राम जामनिया, पोस्ट अदड़,

तहसील भीकानगांव, खरगोन (म.प्र.).

(G-1734)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम माधव सिंह लोधी पिता नंदलाल (MADHAV SINGH LODHI S/o. NANDLAL), निवासी– 33, सफली, ग्राम सफली, पठारी, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम माधो सिंह पिता नन्दलाल (MADHO SINGH S/o. NANDLAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम माधव सिंह लोधी पिता नंदलाल (MADHAV SINGH LODHI S/o. NANDLAL) मेरे वोटर कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम माधव सिंह लोधी पिता नंदलाल (MADHAV SINGH LODHI S/o. NANDLAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(माधो सिंह)	(माधव सिंह लोधी)
(MADHO SINGH)	(MADHAV SINGH LODHI)
पिता– नन्दलाल	पिता– नंदलाल
(S/o. NANDLAL)	(S/o. NANDLAL).

(G-1735)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का आधार कार्ड में दर्ज पूर्व नाम अनुष्का पिता श्री महेन्द्र सिंह उमट दर्ज है को परिवर्तित कर नया नाम अनुष्का उमट (ANUSHKA UMAT) पिता श्री महेन्द्र सिंह हो गया है. पूर्व में मेरी पुत्री को अनुष्का पिता श्री महेन्द्र सिंह उमट के नाम से जानी–पहचानी जाती थी. अब मेरी पुत्री का नाम अनुष्का उमट (ANUSHKA UMAT) पिता श्री महेन्द्र सिंह हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का पूर्व नाम अनुष्का लिखा है. उसका सही नाम अनुष्का उमट (ANUSHKA UMAT) पिता श्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेन्द्र सिंह)

(G-1736)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम हर्षित (HARSHIT) अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम अनंत जैन (ANANT JAIN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरे पुत्र का सही नाम अनंत जैन (ANANT JAIN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज जैन)

निवासी– म.नं. 87, वार्ड नं. 11,
रामलक्ष्मण बाजार, बडोद,
जिला आगर मालवा (म.प्र.).

(G-1737)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा कपूर PUSHPA KAPOOR पति रवि कुमार टंडन, मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में पुष्पा टंडन PUSHPA TANDON पति रवि कुमार टंडन RAVI KUMAR TANDON नाम है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पा कपूर PUSHPA KAPOOR पति रवि कुमार टंडन नाम दर्ज है. पुष्पा टंडन PUSHPA TANDON व पुष्पा कपूर PUSHPA KAPOOR दोनों नाम मेरे स्वयं के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे पुष्पा कपूर PUSHPA KAPOOR के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पुष्पा टंडन)
(PUHPA TANDON)

नया नाम

(पुष्पा कपूर)
(PUSHPA KAPOOR)
पति– रवि कुमार टंडन
(W/o. RAVI KUMAR TANDON)
निवासी– 46, रोहित सदन, सेंट्रल बैंक के पीछे,
शास्त्री नगर, रतलाम (म.प्र.).

(G-1738)

नाम परिवर्तन

मैं, निशा (NISHA) पिता बाबुलाल जटिया, निवासी– नम्बर 265, वार्ड नं.35, मदारपुरा, मंदसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अंगूरी जटिया पिता बाबुलाल जटिया दर्ज हो गया है, जोकि गलत है, जबकि मेरा सही नाम निशा पिता बाबुलाल है, जो कि मेरे अन्य शासकीय/अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे निशा जटिया पिता बाबुलाल जटिया (NISHA D/o. BABULAL JATIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ANGURI JATIYA)

नया नाम

(NISHA).

(G-1739)

नाम परिवर्तन

मैं, चेतना जाटव (CHETANA JATAV) पिता कमल जाटव, निवासी– ग्राम दमदम, तह. व जिला–मन्दसौर पूर्व में मेरी पुत्री का नाम सभी दस्तावेजों में जाति प्रमाण–पत्र, समग्र आईडी, शैक्षणिक संस्था में चेतना जाटव दर्ज जो सही है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश सरिता जटिया अंकित हो गया. जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को चेतना जाटव पिता कमल जाटव (CHETANA JATAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सरिता जटिया)

नया नाम

(चेतना जाटव)
पिता– कमल जाटव.

(G-1740)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम शेख मो. माज पिता शेख मुजफर अजमुनी (SHAIKH MO. MAAZ S/o. SHAIKH MUJFAR AJMUNI) माता का नाम निशाद (NISHAD) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जाता था. जो मेरे दस्तावेजों में अंकित हो गया है, निजी कारणवस अब मेरा नाम माज़ शेख पिता मोहम्मद मुजफ्फर शेख (MAAZ SHAIKH S/o. MOHAMMED MUZAFFAR SHAIKH) माता का नाम निशात शेख (NISHAT SHAIKH) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे परिवर्तित नाम माज़ शेख पिता मोहम्मद मुजफ्फर शेख (MAAZ SHAIKH S/o. MOHAMMED MUZAFFAR SHAIKH) माता का नाम निशात शेख (NISHAT SHAIKH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शेख मो. माज)
(SHAIKH MO. MAAZ)
पिता– शेख मुजफर अजमुनी
(S/o. SHAIKH MUJFAR AJMUNI)

नया नाम
(माज़ शेख)
(MAAZ SHAIKH)
पिता– मोहम्मद मुजफ्फर शेख
(S/o. MOHAMMED MUZAFFAR SHAIKH)
निवासी– 130, अशोका कॉलोनी, मणिक बाग रोड, इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1741)

नाम परिवर्तन

मैं, महेश कुमार गुजराती पिता चिरोंजी लाल गुजराती, निवासी– 3, रतन कालोनी, न्यू जेल रोड, वार्ड 75, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश महेश कुमार पिता चिरोंजी लाल दर्ज है. मेरा lghuke egs'kdqekj xqtjkrh½MAHESH KUMAR GUJRATI) पिता चिरोंजी लाल गुजराती (CHIRONJI LAL GUJRATI) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम महेश कुमार गुजराती (MAHESH KUMAR GUJRATI) पिता चिरोंजी लाल गुजराती (CHIRONJI LAL GUJRATI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(महेश कुमार)
पिता– चिरोंजी लाल

नया नाम
(महेश कुमार गुजराती)
(MAHESH KUMAR GUJRATI)
पिता– चिरोंजी लाल गुजराती
(CHIRONJI LAL GUJRATI).

(G-1742)

नाम परिवर्तन

मैं, बिटोली चौधरी पति रामप्रकाश, निवासी– एच 8/2, वार्ड नम्बर 20, पुलिस लाइन रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा सही नाम बिटोली चौधरी है. आधार कार्ड में त्रुटिवश उर्मिला सिंह चौधरी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त उर्मिला सिंह चौधरी के स्थान पर बिटोली चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बिटोली चौधरी)
पति– रामप्रकाश जी.

(G-1743)

नाम परिवर्तन

मैं, योगेश राजपूत पिता उत्तम सिंह राजपूत, निवासी– हाउस नं. 79, ठाकुर टोला बरगा, पोस्ट ऑफीस, साल्हेघोरी जाता, डोंगरी मॉल, समनापुर, जिला डिंडौरी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम योगेश कुमार राजपूत पिता उत्तम सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम योगेश राजपूत (YOGESH RAJPOOT) पिता उत्तम सिंह राजपूत (UTTAM SINGH RAJPOOT) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे योगेश राजपूत (YOGESH RAJPOOT) पिता उत्तम सिंह राजपूत (UTTAM SINGH RAJPOOT) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(योगेश कुमार राजपूत)	**(योगेश राजपूत)**
पिता– उत्तम सिंह	(YOGESH RAJPOOT)
	पिता– उत्तम सिंह राजपूत
	(UTTAM SINGH RAJPOOT).

(G-1744)

नाम परिवर्तन

मैं, रुबाना परवेज़ पति परवेज़ हसन, निवासी– फ्लैट 36, फायर ब्रिगेड, फतेहगढ, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रूमा परवेज़ (Ruma Parvez) पति परवेज़ हसन (Parvez Hasan) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रुबाना परवेज़ (RUBANA PARVEZ) पति परवेज़ हसन (PARVEZ HASAN) है, जो कि मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रुबाना परवेज़ (RUBANA PARVEZ) पति परवेज़ हसन (PARVEZ HASAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूमा परवेज़)	**(रुबाना परवेज़)**
(Ruma Parvez)	(RUBANA PARVEZ)
	पति– परवेज़ हसन
	(PARVEZ HASAN).

(G-1745)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द गोयल पिता मोहन गोयल, निवासी– 42 आमलीपाडा, पालेडी, तहसील रामा, जिला झाबुआ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गोलू गोयल पिता मोहन गोयल दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम गोविन्द गोयल (GOVIND GOYAL) पिता मोहन गोयल (MOHAN GOYAL) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड व स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे गोविन्द गोयल (GOVIND GOYAL) पिता मोहन गोयल (MOHAN GOYAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गोलू गोयल)	**(गोविन्द गोयल)**
	(GOVIND GOYAL)
	पिता– मोहन गोयल
	(MOHAN GOYAL).

(G-1746)

नाम परिवर्तन

मैं, सरवर खान पिता अब्दुल हादी, निवासी– एच.नं. 27/3, ग्राम कनोरा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सरथर खान C/o. अब्दुल हाडी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सरवर खान (SARVAR KHAN) पिता अब्दुल हादी (ABDUL HADI) है, जो कि मेरे वोटर कार्ड आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सरवर खान (SARVAR KHAN) पिता अब्दुल हादी (ABDUL HADI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरथर खान)	**(सरवर खान)**
C/o. अब्दुल हाडी	(SARVAR KHAN)
	पिता– अब्दुल हादी
	(ABDUL HADI).

(G-1747)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लवलेश साहू पिता पांडू साहू (LAVLESH SAHU S/o. PANDU SAHU), निवासी–65, बहेरघटा, ग्राम बहेरघटा, कौडिया, चंदिया, उमरिया (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लवकेश साहू पिता पांडू साहू (LAVKESH SAHU S/o. PANDU SAHU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर कार्ड आई.डी. एवं स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम लवलेश साहू पिता पांडू साहू (LAVLESH SAHU S/o. PANDU SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लवकेश साहू)	**(लवलेश साहू)**
(LAVKESH SAHU)	(LAVLESH SAHU)
	पिता– पांडू साहू
	(S/o. PANDU SAHU).

(G-1748)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रचना पटेल पुत्री श्री परशराम, निवासी– उदयपुरा, छतरपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राज कुमारी पुत्री श्री परसू पटेल (RAJ KUMARI D/o. PARASU PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रचना पटेल पुत्री श्री परशराम (RACHNA PATEL D/o. PARASRAM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राज कुमारी)	**(रचना पटेल)**
(RAJ KUMARI)	(RACHNA PATEL)
पुत्री– श्री परसू पटेल	पुत्री– श्री परशराम
(D/o. PARASU PATEL)	(D/o. PARASRAM).

(G-1749)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनस्वी मयंक आत्मज श्री शांति सिंह, निवासी– सी–65, विस्तारा टाउनसिप, ए.बी. बायपास रोड, अरण्डिया, इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कियांश मयंक सिंह पुत्र मनस्वी मयंक (KIANSH MAYANK SINGH S/o. MANASWI MAYANK) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम हिमाक्ष सिंह पिता श्री मनस्वी मयंक (HIMAKSH SINGH S/o. MANASWI MAYANK) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनस्वी मयंक)

आत्मज– श्री शांति सिंह.

(G-1750)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम संतोष पिता वजीरचंद, निवासी– ग्राम तरावली, तरावली, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आयुषी पुत्री संतोष (AYUSHI D/o. SANTOSH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम आरूषी पुत्री संतोष कुमार (AARUSHI D/o. SANTOSH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संतोष कुमार)

पिता– वजीरचंद.

(G-1751)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम दिव्यांश रावत पुत्र चंद्रभान रावत (Divyansh Rawat S/o. Chandrabhan Rawat), निवासी–ग्राम ईन्दरगढ, नरूआ, शिवपुरी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दिव्यान सिंह रावत पुत्र चंद्रभान सिंह (Divyan Singh Rawat S/o. Chandrabhan Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश रावत पुत्र चंद्रभान रावत (Divyansh Rawat S/o. Chandrabhan Rawat) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चंद्रभान रावत)

पुत्र– प्रताप सिंह रावत.

(G-1752)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अभिशांत ठाकुर पुत्र माखन लाल ठाकुर (Abhishant Thakur S/o. Makhan Lal Thakur), निवासी–म.नं. 09, ग्राम लिंगा, पोस्ट पिपरिया (लिंगा), पिपरिया लिंग, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम देवांश ठाकुर पुत्र माखन लाल ठाकुर (Devansh Thakur S/o. Makhan Lal Thakur) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व जाति प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम अभिशांत ठाकुर पुत्र माखन लाल ठाकुर (Abhishant Thakur S/o. Makhan Lal Thakur), के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(माखन लाल ठाकुर).

(G-1753)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कांता बाई पत्नी विक्रम सिंह (KANTA BAI W/o. VIKRAM SINGH), निवासी– 198, खामखेड़ा, बैजनाथ, आष्टा, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चंद्रकांता पत्नी विक्रम सिंह (CHANDRAKANTA W/o. VIKRAM SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम कांता बाई पत्नी विक्रम सिंह (KANTA BAI W/o. VIKRAM SINGH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चंद्रकांता)	(कांता बाई)
(CHANDRAKANTA)	(KANTA BAI)
	पत्नी– विक्रम सिंह
(G-1754)	(W/o. VIKRAM SINGH).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम देवकरण पुत्र श्रवण (Devkaran S/o. Shravan), निवासी– 1, रोड कॉलोनी, बरखेड़ी, ग्राम बरखेड़ी, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम देवकरण पुत्र श्रवण (devakaran S/o. shravan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र में दर्ज है. यह दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम देवकरण पुत्र श्रवण (Devkaran S/o. Shravan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवकरण)	(देवकरण)
(devakaran)	(Devkaran)
	पुत्र– श्रवण
(G-1755)	(S/o. Shravan).

नाम परिवर्तन

मैं, सक्षम पटेल पिता श्री चंद्र शेखर पटेल, निवासी– ग्राम पिपल्या कला, पोस्ट बलवाड़ा, तहसील खंडवा, जिला खंडवा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम नमन पटेल दर्ज हो गया है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, आठवीं बोर्ड एवं नवमी की मार्कशीट में सभी शासकीय रिकार्ड में उसका नाम सक्षम पटेल पिता श्री चंद्र शेखर पटेल दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम सक्षम पटेल पिता चंद्र शेखर पटेल से के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चंद्रशेखर पटेल)

(G-1756)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम खुशबू चौहान पिता जितेन्द्र (KHUSHBU CHOUHAN D/o. JITENDRA), निवासी– म.नं. एन 296, राम मन्दिर के आगे, आलरी, तहसील टोंकखुर्द देवास, आलरी, देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम खुशी पिता जितेन्द्र (KHUSHI D/o. JITENDRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम खुशबू चौहान पिता जितेन्द्र (KHUSHBU CHOUHAN D/o. JITENDRA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र)

(G-1757) पुत्र– सिद्धनाथ सिंह चौहान.

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम कंचन अहिरवार पिता श्री अमरीश अहिरवार (KANCHAN AHIRWAR D/o. AMRISH AHIRWAR), निवासी– म.नं. 58, सेमरी खोजरा, अमराबदकलां, अमरावद, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कचन अहिवार पिता श्री अमरीश (KACHAN AHIWAR D/o. AMARISH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम कंचन अहिरवार पिता श्री अमरीश अहिरवार (KANCHAN AHIRWAR D/o. AMRISH AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अमरीश अहिरवार)

पिता– फूदल सिंह.

(G-1758)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम श्यामराज नलवाया पिता प्रभातसिंह नलवाया (SHYAMRAJ NALWAYA S/o. PRABHAT SINGH NALWAYA), निवासी– कंजावाणी मीर्चा, कंजावाणी खास, रानापुर, झबुआ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम देवेन्द्र नलवाया पिता प्रभातसिंह नलवाया (DEVENDRA NALWAYA S/o. PRABHATSINGH NALWAYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम श्यामराज नलवाया पिता प्रभातसिंह (SHYAMRAJ NALWAYA S/o. PRABHATSINGH NALWAYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रभातसिंह नलवाया)

पिता– बाबु नलवाया.

(G-1759)

नाम परिवर्तन

मैं, नवीन सोनी पिता रघुनाथ सोनी, निवासी– नया हाउस नं. 16, एल.आई.जी., बजरंग नगर, 99 नंदा नगर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश ऋतिका नंदकिशोर सोनी (HRITIKA NANDKISHOR SONI) पिता नंदकिशोर रघुनाथ सोनी (NANDKISHOR RAGHUNATH SONI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम रितिका सोनी (HRITIKA SONI) पिता नवीन सोनी (NAVEEN SONI) है, जो कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम रितिका सोनी (HRITIKA SONI) पिता नवीन सोनी (NAVEEN SONI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नवीन सोनी)

पिता– रघुनाथ सोनी.

(G-1760)

नाम परिवर्तन

मैं, कला बाई, पति स्व. श्री भाईदास सोनवाने, निवासी– म.नं. 38, तन्ची स्टेट, अमृतपुरी, खजुरी कलां, भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में पैन कार्ड में सुमन सोनवाने नाम दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिवश अंकित हो गया है व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम कलाबाई अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे कला बाई के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुमन सोनवाने)

(Suman Sonvane)

नया नाम

(कला बाई)

(Kala Bai)

पिता– श्री शंभू काप्ड़ने.

(G-1761)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अमित कुमार पिता श्री सुरेश चन्द (Amit Kumar S/o. Suresh Chand) था. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/शेयर्स सर्टिफिकेट व व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अमित कुमार सक्सेना पिता श्री सुरेश चन्द (Amit Kumar saxena S/o. Suresh chand) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अमित कुमार)

नया नाम

(अमित कुमार सक्सेना)
पिता– श्री सुरेश चन्द
निवासी– म.नं. 05, सतगुरु पेरेडाइज,
छोटा बांगडदा, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1762)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का पूर्व नाम प्रशित निराला पिता मुकेश निराला (Prashit Nirala S/o. Mukesh Nirala) था. वर्तमान में मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम ध्रुवित निराला पिता मुकेश निराला (Dhruvit Nirala S/o. Mukesh Nirala) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रशित निराला)

नया नाम

(ध्रुवित निराला)
पिता– मुकेश निराला
निवासी– 115, वार्ड नं. 10, महेश्वर रोड,
बडवाह, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-1763)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम नैंसी राजपूत पिता चंद्रपाल सिंह राजपूत, निवासी– वार्ड नं.–05, पीपल का पेड़, लुपगांव, सिवनी मालवा (म.प्र.). मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आरती राजपूत पिता चंद्रपाल सिंह राजपूत अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा मेरी पुत्री का सही नाम मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम नेंसी राजपूत पिता चंद्रपाल सिंह राजपूत के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(चतर कुंवर राजपूत)
पत्नी– चंद्रपाल सिंह राजपूत.

(G-1764)

नाम परिवर्तन

मैं, शिला मंडलोई पुत्री मधु, निवासी– ग्राम छोटी सरदी, जिला अलीराजपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम शिला मंडलोई है, बैंक ऑफ बडौदा (अलीराजपुर) की एफ.डी.आर. में त्रुटिवश मेरा नाम शीलू (SEELU) अंकित हो गया है. शीलू एवं शिला दोनों ही नाम मेरे है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शिला मंडलोई के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शीलू)
(SEELU)

नया नाम

(शिला मंडलोई)
(SHILA MANDLOI).

(G-1765)

नाम परिवर्तन

मैं, कन्हैयालाल खरवड़ीया पुत्र श्री बुद्धीया, निवासी– ग्राम वार्ड नं. 10, पोस्ट गांधर्वपुरी, तहसील सोनकच्छ, हरिजन मोहल्ला, बेराखेड़ी, जिला देवास (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश राधेश्याम खरवड़ीया पुत्र बुद्धा जी (Radheshyam Kharuadiya S/o. Buddha Ji) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम कन्हैयालाल खरवड़ीया (Kanhaiyalal Kharwadiya) पुत्र बुद्धीया (Budhiya) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है, जिसे मेरे आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. राधेश्याम खरवड़ीया पुत्र बुद्धा जी (Radheshyam Kharuadiya S/o. Buddha Ji) एवं कन्हैयालाल खरवड़ीया (Kanhaiyalal Kharwadiya) पुत्र बुद्धीया (Budhiya) उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरे ही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे कन्हैयालाल खरवड़ीया, (Kanhaiyalal Kharwadiya) पुत्र बुद्धीया (Budhiya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधेश्याम खरवड़ीया)	**(कन्हैयालाल खरवड़ीया)**
(Radheshyam Kharuadiya)	(Kanhaiyalal Kharwadiya)
पुत्र– बुद्धा जी	पुत्र– बुद्धीया
(S/o. Buddha Ji)	(S/o. Budhiya).

(G-1766)

नाम परिवर्तन

मैं, हेमंत कुमार गढ़वाल आत्मज श्री प्रकाशचंद गढ़वाल, निवासी– वार्ड नंबर 13, नदी मोहल्ला, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पिता का नाम मेरे दस्तावेज आधार कार्ड में त्रुटिवश हेमंत कुमार गढ़वाल आत्मज श्री प्रकाशचंद गढ़वाल अंकित हो गया है, जिसे परिवर्तित कर मेरा सही नाम हेमन्त गढ़वाल आत्मज श्री प्रकाशचंद्र गढ़वाल अंकित कराया जाना है. मेरा नाम मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे 10वीं की मार्कशीट में मेरा सही नाम हेमन्त गढ़वाल आत्मज श्री प्रकाशचंद्र गढ़वाल ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम हेमन्त गढ़वाल आत्मज श्री प्रकाशचंद्र गढ़वाल (HEMANT GARHWAL S/o. PRAKASHCHANDRA GARHWAL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हेमन्त गढ़वाल)

आत्मज– श्री प्रकाशचंद्र गढ़वाल.

(G-1767)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सविता बाई बसोर पत्नी श्री रिब्बू बासोर, निवासी– जैन मंदिर के पास, लखरानी पथरिया, रजवांस, लाखेनी दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनीता बसोर पत्नी रिब्बू बासोर (Anita Basor W/o. Ribbu Basor) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पहचान–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सविता बाई बसोर पत्नी श्री रिब्बू बासोर (Savita Bai Basor W/o. Ribbu Basor) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनीता बसोर)	**(सविता बाई बसोर)**
(Anita Basor)	(Savita Bai Basor)
	पत्नी– श्री रिब्बू बासोर
	(W/o. Ribbu Basor).

(G-1768)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम ऋषिता यादव पुत्री श्री रामनरेश यादव (Rishita Yadav D/o. Ramnaresh Yadav), निवासी–सारसखेडी, सरस खेड़ी, अशोक नगर, सरस्खेदी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सीता यादव पुत्री श्री रामनरेश यादव (Sita Yadav D/o. Ramnaresh Yadav) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम ऋषिता यादव पुत्री श्री रामनरेश यादव (Rishita Yadav D/o. Ramnaresh Yadav) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सीता यादव)	**(ऋषिता यादव)**
(Sita Yadav)	(Rishita Yadav)
	पुत्री– श्री रामनरेश यादव
	(D/o. Ramnaresh Yadav).

(G-1769)

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना पति हरिओम, निवासी– ग्राम भंवरगढ़, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सपना (SAPNA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम मेरे वोटर कार्ड में वंदना (VANDNA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम वंदना (VANDNA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सपना)	**(वंदना)**
(SAPNA)	(VANDNA).

(G-1770)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विशाल यादव (VISHAL YADAV) पिता बालचंद्र भोये जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं मार्कशीट में दर्ज है, जो कि सही है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम विकाश भोये (VIKASH BHOYE) पिता बालचंद्र भोये दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र का सही नाम विशाल यादव (VISHAL YADAV) पिता बालचंद्र भोये के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विकाश भोये)	**(विशाल यादव)**
(VIKASH BHOYE)	(VISHAL YADAV)
	पिता– बालचंद्र भोये
	निवासी– ग्राम आलाउमरोद,
(G-1771)	तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता पति केशव तिवारी, निवासी– ग्राम सोडरपुर, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश प्रियंका (PRIYANKA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, मेरे वोटर कार्ड में संगीता (SANGITA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम संगीता (SANGITA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रियंका)
(PRIYANKA)

नया नाम
(संगीता)
(SANGITA).

(G-1772)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग Raanu Sharma दर्ज है एवं वोटर कार्ड में Renoo दर्ज है, जोकि गलत है, जबकि मेरे पैन कार्ड व हाईस्कूल में मेरे नाम की स्पेलिंग Renu Sharma दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे Renu Sharma W/o. Aman Sharma के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(Renu Sharma)
(W/o. Aman Sharma)
निवासी– पवन कुटीर, रामदास घाटी,
शिन्दे की छावनी, विहांड अरोरा भवन,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1773)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम नेहा सोलंकी (NEHA SOLANKI) पिता महेश कुमार सोलंकी है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं मार्कशीट में दर्ज है, जो कि सही है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम सुनाक्षी सोलंकी (SUNAKSHI SOLANKI) पिता महेश कुमार सोलंकी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नेहा सोलंकी (NEHA SOLANKI) पिता महेश कुमार सोलंकी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(महेश कुमार सोलंकी)
निवासी– ग्राम हिम्मतपुरा, पोलाय कलॉ,
तहसील पोलाय कलॉ, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1774)

नाम परिवर्तन

मैं, नवेद पिता सेवक राम, निवासी– वार्ड नं. 2, टेकापारकोलोनी, तह . गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश नरेश कुमार गौर (NARESH KUMAR GOUR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में नवेद (NAVED) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सही नाम नवेद (NAVED) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नरेश कुमार गौर)
(NARESH KUMAR GOUR)

नया नाम
(नवेद)
(NAVED).

(G-1775)

नाम परिवर्तन

मैं, हर प्रसाद पिता मोहन सिंह, निवासी– ग्राम खुमारी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश ईदल सिंह दांगी (IDAL SINGH DANGI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर हर प्रसाद (HAR PRASAD) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम हर प्रसाद (HAR PRASAD) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ईदल सिंह दांगी)	**(हर प्रसाद)**
(IDAL SINGH DANGI)	(HAR PRASAD).

(G-1776)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम (VARGHESE) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम एम के वर्गीस (M K VARGHESE) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम एम के वर्गीस (M K VARGHESE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(VARGHESE)	**(एम के वर्गीस)** (M K VARGHESE). आत्मज– श्री मथाई निवासी– चित्रकूट बस्ती, भोपाल करोंद बाई पास मार्ग, हुजूर, एम.आई. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-1777)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हर्षिता मेहरा (HARSHITA MEHRA) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम हिमांशी मेहरा (HIMANSHI MEHRA) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हिमांशी मेहरा (HIMANSHI MEHRA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हर्षिता मेहरा)	**(हिमांशी मेहरा)**
(HARSHITA MEHRA)	(HIMANSHI MEHRA) पुत्री– श्री हितेंद्र मेहरा निवासी– महू गांव 38, श्री नाथ कॉलोनी, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1778)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जुली किन्नर (JULI KINNAR) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम चंद्र प्रकाश अहिरवार (CHANDRA PRAKASH AHIRWAR) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चंद्र प्रकाश अहिरवार (CHANDRA PRAKASH AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जुली किन्नर)	**(चंद्र प्रकाश अहिरवार)**
(JULI KINNAR)	(CHANDRA PRAKASH AHIRWAR) पुत्र – श्री देश राज अहिरवार निवासी– वार्ड नं. 15, राजपूत कॉलोनी, हरपालपुर, सरसेड, छतरपुर (म.प्र.).

(G-1779)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश सिंह रघुवंशी पुत्र श्री लाल सिंह रघुवंशी, निवासी– 33, अजीतपुर भडेरू, तह. गंजबसौदा, ज़िला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम आर्या रघुवंशी पुत्री श्री दिनेश सिंह रघुवंशी माता सरोज रघुवंशी ने अपनी पुत्री का नाम बदलकर अदिती रघुवंशी पुत्री श्री दिनेश सिंह रघुवंशी कर लिया है. यह दोनों नाम मेरी ही पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिती रघुवंशी पुत्री श्री दिनेश सिंह रघुवंशी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1780) **(दिनेश सिंह रघुवंशी).**

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम संध्या मालवीय (SANDHYA MALVIYA) पिता सिद्धूलाल मालवीय (SIDDHULAL MALVIYA), निवासी– ग्राम रामपुरिया, पोस्ट पढ़ाना, राजगढ़, सारंगपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम निकिता (NIKITA) पिता सिद्धूलाल (SIDDHULAL) अंकित हो गया है तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम संध्या मालवीय (SANDHYA MALVIYA) पिता सिद्धूलाल मालवीय (SIDDHULAL MALVIYA) दर्ज हैं. संध्या मालवीय व निकिता एक ही महिला के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को संध्या मालवीय (SANDHYA MALVIYA) पिता सिद्धूलाल मालवीय (SIDDHULAL MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-1781) **(सिद्धूलाल मालवीय).**

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मोहम्मद इमरान पुत्र श्री मेहमूद खान, निवासी–म.नं–214, मस्जिद फखरूद्दीन के पीछे, पुतली घर शाहजहाँनाबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड एवं पासपोर्ट में त्रुटिवश मेरा नाम इफ्तेखार तथा ड्रायविंग लायसेंस एवं बिजली बिल में शेख इमरान लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम मोहम्मद इमरान पुत्र श्री मेहमूद खान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(इफ्तेखार)

नया नाम
(मोहम्मद इमरान)
पुत्र– श्री मेहमूद खान.

(G-1782)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र तनिष्क गुप्ता की शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम त्रुटिवश रितेश गुप्ता लिखा गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम कमल किशोर गुप्ता आत्मज श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, निवासी– वार्ड नंबर 10, ग्राम रतुआ, रतनपुर, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण–पत्र में भी मेरा यही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र तनिष्क गुप्ता की शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा सही नाम कमल किशोर गुप्ता आत्मज श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रितेश गुप्ता)

नया नाम
(कमल किशोर गुप्ता)
आत्मज– श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता

(G-1783)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पल्लवी राय (PALLAVI RAI) है, जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है एवं मेरा शादी के पूर्व मेरा नाम पल्लवी तिवारी (PALLAVI TIWARI) था एवं मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पल्लवी तिवारी (PALLAVI TIWARI) दर्ज हैं. वर्तमान में मेरी शादी हो जाने के कारण मेरा नाम पल्लवी राय (PALLAVI RAI) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे पल्लवी राय (PALLAVI RAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(पल्लवी राय)

पत्नी– श्री आदर्श राय

पता– ग्राम ई–10, 45, बंगलो, टी.टी. नगर,

न्यू मार्केट, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1784)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम तुलाराम जादव है, मेरे सेवा–पुस्तिका में त्रुटिवश तुलाराम जाटव अंकित हो गया है. मेरा नाम तुलाराम जादव है. अतः प्रकाशन उपरान्त तुलाराम जाटव के स्थान पर मेरा नाम तुलाराम जादव जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(तुलाराम जादव)

पता– प्रशासन अकादमी, 1100 क्वार्टर,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1785)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम वीरेंद्र कुर्मी पिता परषोत्तम, निवासी– बादीपुरा, छुल्ला, जिला सागर (म.प्र.). मेरे पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्रृष्टि कुर्मी पुत्री वीरेन्द्र (SRISHTI KURMI D/o. VIRENDRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्री का सही नाम सृष्टि कुर्मी पुत्री वीरेन्द्र कुर्मी (SRASHTI KURMI D/o. VEERENDRA KURMI) है, जो कि शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सृष्टि कुर्मी पुत्री वीरेन्द्र कुर्मी (SRASHTI KURMI D/o. VEERENDRA KURMI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(वीरेन्द्र कुर्मी)

(VEERENDRA KURMI).

(G-1786)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम साबिर मिया स्व. श्री अब्दुल कमर (Sabir Miya Late Shree Abdul Kamar), निवासी–एच. नं. 190, छोला दशहरा मैदान के पीछे, अन्नू नगर, छोला रोड, भोपाल जी.पी., भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम गुफरान पुत्र साबिर मिया (Gufran S/o. Sabir Miya) है, परंतु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गुफरान पुत्र साबिर (Gufran S/o. Sabir) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम गुफरान पुत्र साबिर मिया (Gufran S/o. Sabir Miya) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(साबिर मिया).

(G-1787)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम डिंपल केसवानी था. जो कि अब बदलकर विनीता रामचंदानी पति चंद्र प्रकाश केसवानी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम
(डिंपल केसवानी)
(DIMPLE KESWANI)

नया नाम
(विनीता रामचंदानी)
(VINITA RAMCHANDANI)
पति– चंद्र प्रकाश केसवानी
निवासी–ए 1/1, विनय नगर, सुदामा नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-1788)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में शरयांश शर्मा (Shrayansh sharma) अंकित हो गया था, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम श्रेयांश शर्मा (Shreyansh Sharma) पिता संतोष कुमार शर्मा है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सभी सहकारी/गैर–सरकारी दस्तावेजों में इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(संतोष कुमार शर्मा)
निवासी– एस–26, गोविंदपुरा, पुलिस लाईन,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1789)

Change of Name

I SHOBHA THAKUR W/O SHAILENDRA THAKUR here by Declare That I have changed My name as MAANKUNWAR THAKUR W/o. SHAILENDRA SINGH THAKUR so, from now and in future I will be known by my new name as MAANKUNWAR THAKUR W/o. SHAILENDRA SINGH THAKUR.

Old Name
(SHOBHA THAKUR)
(W/o. SHAILENDRA THAKUR)

New Name
(MAANKUNWAR THAKUR)
(W/o. SHAILENDRA SINGH THAKUR)
Add.- 51, Kalptaru Avenue, Dewas Road,
Lalpur, Ujjain (M.P.).

(G-1790)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम आरती लोबाना (ARTI LOBANA) पिता भारत लोबाना जो उसकी अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है, परंतु त्रुटिवश आधार कार्ड में उसका नाम विक्रांता (VIKRANTA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के आधार कार्ड एवं अन्य सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों पर उसका सही नाम आरती लोबाना (ARTI LOBANA) पिता भारत लोबाना के नाम से जाना–पहचाना एवं पढा–लिखा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विक्रांता)
(VIKRANTA)

नया नाम
(आरती लोबाना)
(ARTI LOBANA)
पिता– भारत लोबाना
निवासी– ग्राम पीर उमरोद, पोस्ट बेरछा,
तह. व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-1791)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग गोरखपुर, जबलपुर, मध्यप्रदेश

गोरखपुर, दिनांक 23 जनवरी 2026

प्रारुप क्र. – 4

सूचना–पत्र

[नियम–4(2) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.–0001–बी–113(2)/2025–26.– चूंकि, आवेदक ब्रम्हऋषि मिशन समिति द्वारा सचिव डॉ० अखलेश गुमास्ता श्री ब्रजेश कुमार गुमास्ता, निवासी 460/11 लेबर चौक, स्नेह नगर, कमला नेहरू वार्ड, जबलपुर, मध्यप्रदेश के द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत् कैंसर पीड़ितों के सेवार्थ उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते ग्राम घुंसौर नं. बं. 150 पं. हं. नं. 36 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 60/2 रकबा 0.400 हे. कृषि भूमि सी. एम. एसोसिएट द्वारा पार्टनर अदिति चौपड़ा, पिता श्री अमृत चौपड़ा, निवासी वार्ड नंबर 19, गणेश भवन के बाजू में महासमुंद, छत्तीसगढ़ हालमुकाम स्नेह नगर, जबलपुर (म.प्र.) को विकय करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 27 फरवरी 2026 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो या उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	: –	ब्रम्हऋषि मिशन समिति ट्रस्ट
2. लोक न्यास का पता	: –	गीताधाम मंदिर के सामने ग्वारीघाट, जबलपुर (म.प्र.)

पेशी दिनांक 27–02–2026

जारी दिनांक 23–01–2026

(G-1792)

अनुराग सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 29 जनवरी 2026

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र.–449–रीडर–2026.– आवेदक, अध्यक्ष श्री रामकुमार साहू पिता रामखिलावन साहू, निवासी–42, एल.आई.जी., मुखर्जीनगर, देवास (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन–पत्र धारा 4 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत "द लाइफ इटरनल ट्रस्ट, देवास" कार्यालय–42, एल.आई.जी., मुखर्जीनगर, देवास (म.प्र.) के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन–पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा–पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ आवेदन–पत्र संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 05/– के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः "द लाइफ इटरनल ट्रस्ट, देवास" कार्यालय–42, एल.आई.जी., मुखर्जीनगर, देवास (म.प्र.) के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 28 फरवरी 2026 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-1793)

देवास, दिनांक 29 जनवरी 2026

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र.–451–रीडर–2026.– आवेदक श्री दिनेश कुमावत, पिता पूरणसिंह कुमावत, निवासी–31. चामुण्डापुरी, राधागंज, देवास (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन–पत्र धारा 4(2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत "श्री राधा कुंज धाम ट्रस्ट" कार्यालय ए–4. देवीकुलम कालोनी, देवास (म.प्र.) के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन–पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा–पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ आवेदन–पत्र संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 05/– के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः "श्री राधा कुंज धाम ट्रस्ट" कार्यालय ए–4, देवीकुलम कालोनी, देवास (म.प्र.) के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 27 फरवरी 2026 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित को जावेगी.

आज दिनांक 29 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी की गई.

(G-1794) **अभिषेक शर्मा,** रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास मझगवां, जिला सतना, मध्यप्रदेश

मझगवां, दिनांक 12 जनवरी 2026

प्रारुप क्र. – 5

[नियम–(एक) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मझगवां जिला के समक्ष –

अतः, मुझे यह प्रतीत है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है:–

अब इसलिये मैं, महिपाल सिंह गुर्जर, लोक न्यासों का पंजीयक मझगवां जिला मेरे न्यायालय में 2025 के 90 के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा, सूचना–पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे माध्यम से उपस्थित तारीख पर या तो व्यक्ति अथवा प्लीटर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा:–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : – " ट्रस्ट पृथ्वीराज चौहान धर्मशाला"
2. लोक न्यास का पता : – नयागांव चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.)

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियां सम्मलित हैं:–

चल सम्पत्ति – 50,000

अचल सम्पत्ति – 25,00000

(G-1795) **महिपाल सिंह गुर्जर**, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोकन्यास, अनुभाग हातोद, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

हातोद, दिनांक 19 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951: तीसः (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र.–73–रीडर–पं.लो.न्यास–2026.– आवेदक श्री बालकृष्ण पिता मनीराम पटेल (राठौर), निवासी–231, नंदलाल रोड, हातोद, जिला इन्दौर द्वारा " श्री राठौर क्षत्रिय (तेली) समाज " का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहें तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम – "श्री राठौर क्षत्रिय (तेली) समाज"
2. कार्यालय का पता – "श्री राठौर क्षत्रिय (तेली) समाज" हातोद, जिला इन्दौर,
3. चल सम्पत्ति – 2000/– (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र)
4. अचल संपत्ति – निरंक

आज दिनांक 03 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1796) **विनोद राठौर**, अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 10 नवम्बर, 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी/ग के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–क्यू..– सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरी	1127/16.03.1997	888/24.07.2025
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ब्राह्मणगांव	1102/16.01.1997	888/24.07.2025
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोहीपुरा	304/30.03.2012	888/24.07.2025
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमोरी	222/11.09.2007	888/24.07.2025
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारा	223/11.09.2007	888/24.07.2025
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अजंदी	229/01.11.2007	888/24.07.2025
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया	249/14.04.2008	889/24.07.2025
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवला (अजंदी)	234/29.01.2008	889/24.07.2025
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घट्टी	207/07.07.2006	889/24.07.2025
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दवाना	610/23.04.1983	889/24.07.2025
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांवडेब	803/01.04.1991	889/24.07.2025
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसवां	351/22.03.2014	889/24.07.2025
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भगवानपुरा	372/20.10.2024	889/24.07.2025
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किरमोही	376/20.10.2024	889/24.07.2025

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/प्रबंधक से वर्तमान परिसमापक को किसी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार मुझे नहीं प्राप्त हुआ है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वें संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावें इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2, माह के भीतर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता, जिला बड़वानी कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर लिखित रूप से सह–प्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि कि दशा ने साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे, यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा सस्थाओं की लेखा–पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेय मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर, आस्तियों या अभिलेख रिकार्ड नहीं सौंपे गये हैं. तो सबंधित के विरुद्ध उनको वसुलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नही होती है तो दावेदारों/साहूकारों /सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जायेगा.

सूचना आज दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1797) **राधेश्याम चौहान,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 5 जनवरी, 2026

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–26–क्यू.– कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न कार्यालयीन आदेश एवं संशोधित आदेश के तहत् संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जनता साख सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा.	514/08.07.2016	750/18.05.2022	श्री प्रदीप रावत, अंकेक्षण अधिकारी.

अतः मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित–रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाम के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगें. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नही किया तो बाद में उस का दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 05 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1798) **प्रदीप रावत,** परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

बड़वानी, दिनांक 1 जनवरी, 2026

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57(1) (सी/ग) के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–26–क्यू..– कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न कार्यालयीन आदेश एवं संशोधित आदेश के तहत् संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	खाजा नायक आजिविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेकड़मोहाली.	284/19.12.2010	751/18.05.2022	श्री जे.एस. रावत, व.स.नि
2	रानीकाजल आजिविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुस्मया.	282/06.12.2010	752/18.05.2022	श्री जे.एस. रावत, व.स.नि
3	माँ शारदा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी.	474/29.04.2015	939/06.07.2018	श्री जे.एस. रावत, व.स.नि
4	श्री गिनारा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी.	389/21.14.2014	943/06.07.2018	श्री जे.एस. रावत, व.स.नि
5.	सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी.	463/29.04.2015	460/31.03.2017	श्री जे. एस. रावत, व.स.नि

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय--प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगें. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उस का दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा–पुस्तको में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 01 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1799) **जे.एस.रावत,** परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

बड़वानी, दिनांक 1 जनवरी, 2026

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–26–क्यू.– कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्न कार्यालयीन आदेश एवं संशोधित आदेश के तहत् संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन कमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क.व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पलसुद.	911/03.03.1994	958/13.09.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नागलवाड़ी.	375/20.10.2014	959/13.09.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बई.	371/20.10.2014	918/06.07.2018	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरीबुजुर्ग.	190/12.08.2005	826/09.11.2016	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
5.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, राजपुर.	101/14.02.1963	363/04.04.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
6.	पं. निमाड़ कार्य कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, जुलवानिया.	403/25.02.1970	992/26.09.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जलगोन (राजपुर).	218/05.07.2007	992/26.09.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
8.	माँ बिजासनी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, राजपुर.	310/04.10.2011	992/26.09.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जलखेड़ा.	869/04.10.2011	992/26.09.2023	श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होने. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उस का दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा एवं संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगें.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 01 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1800) **जगन्नाथ जमरे,** परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 10 नवम्बर, 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाऐं नियम, 1962 के नियम, 57 सी/ग के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–क्यू.– सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बडवानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तलाव	1104/16.01.1997	888/24.07.2025
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पनाली	1108/16.01.1997	888/24.07.2025
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोगवाडा	1089/16.01.1997	888/24.07.2025
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जुनापानी	607/11.01.1983	888/24.07.2025
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकल्दा	619/22.08.1983	888/24.07.2025
6.	म. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोंदवाडा	1125/23.03.1997	888/24.07.2025
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलगोन	509/07.12.1976	888/24.07.2025
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेतिया	503/06.07.1976	888/24.07.2025
9	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरानी	1106/11.1.1997	888/24.07.2025
10.	महात्मा ज्योति बा फुले दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोंदवाडा.	622/31.10.1983	888/24.07.2025
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानसुल	507/07.12.1976	888/24.07.2025
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पनाली	239/04.03.2008	888/24.07.2025
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरतलाई	731/19.12.1988	888/24.07.2025
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निहाली	196/26.01.2005	888/24.07.2025
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खडीखम	189/30.07.2005	888/24.07.2025
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खडकी	299/28.03.2012	889/24.07.2025
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जुनापानी	236/27.02.2008	889/24.07.2025

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/प्रबंधक से वर्तमान पारेसमापक को किसी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार मुझे नहीं प्राप्त हुआ है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्–द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावें इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन) सहकारिता जिला बड़वानी कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर लिखित रूप से सह–प्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि कि दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिए संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होगे, यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसके बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा सस्थाओं की लेखा–पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेय मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद मे ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबुझकर, आस्तियों या अभिलेख रिकार्ड नहीं सौपें गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसुलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियों समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावें, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

सूचना आज दिनांक 10 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1801) **भूपेन्द्र जामोद,** परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 1 जनवरी, 2026

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 सी/ग के अंतर्गत)

क्र.--परि--2025--26--क्यू.– कार्यालय सहायक पंजीयक (प्रशासन) सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे निम्न कार्यालयीन आदेश एवं संशोधित आदेश के तहत् संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मुण्डियापुरा.	246/4.04.2004	995/08.12.2014	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
2.	सत्य सांई बाबा साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	440/09.12.2014	930/06.07.2018	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
3.	न्यू श्री नाथ साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	459/05.02.2015	929/06.07.2018	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
4.	श्री काका साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	488/29.04.2015	928/6.07.2018	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी भण्डार मर्यादित, कटोरा.	349/22.03.2014	759/18.05.2022	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
6.	श्री सांवरिया सेठ सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	410/21.12.2014	761/18.05.2022	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजासनी.	362/23.03.2014	763/18.05.2022	श्रीमती प्रभा बधेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	मंगलम साख सहकारी भण्डार मर्यादित, बड़वानी.	193 / 22.07.2005	764 / 18.05.2022	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
9.	श्री लक्ष्मी नारायण सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	527 / 30.12.2016	768 / 18.05.2022	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
10.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बावड़िया.	343 / 18.02.2014	773 / 18.05.2022	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
11.	केरियर साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	458 / 29.04.2015	466 / 31.03.2017	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
12.	नर्मदा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कासेल.	277 / 4.12.2010	485 / 31.3.2017	श्रीमती प्रना बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
13.	जय जलदेव मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	1143 / 27.6.1997	830 / 9.11.2016	श्रीमती प्रमा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
14.	श्री सांई साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	477 / 29.4.2015	442 / 31.3.2017	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
15.	अंगीरा साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	108 / 19.06.2003	470 / 31.03.2017	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
16.	श्री जैन साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी.	454 / 5.02.2015	477 / 31.03.2017	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसराखुर्द.	244 / 1.4.2008	1007 / 8.12.2014	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
18	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलाज.	789 / 26.12.1981	926 / 06.07.2018	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बालकुआँ.	215 / 16.03.2007	955 / 13.09.2023	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तलवाडाबुजुर्ग.	546 / 22.09.1980	961 / 13.09.2023	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
21.	चिकल्या आजीविका बीज उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, चिकल्या.	280 / 06.12.2010	472 / 31.03.2017	श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1)(सी / ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में दावेदार किसी भी लाभ बंटवारे से वंचित होने के दायित्याधीन होगें. यदि इस अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उस का दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयं में व मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेगें. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा करा दें, अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगें.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 01 जनवरी, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1802)

प्रभा बघेल, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट एवं परसवाड़ा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 08 जनवरी, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि–समि–2026–क्यू.– सर्वसाधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2025/28/दिनांक, 08 जनवरी 2025 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पं. क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, मगरदर्रा	410/07.11.1991	884/22.03.1996
2.	महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट	304/26.02.1984	1025/04.09.2006
3.	आदर्श चाक उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट	621/27.04.2002	745/23.07.2011
4.	वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, धापेवाडा	411/01.11.1991	883/22.03.1996
5.	वृक्ष सहकारी संघ बालाघाट	461/29.11.1991	3261/04.12.2002
6.	प्राथमिक बीडी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, भरवेली	605/19.04.2000	748/23.07.2011
7.	वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, परासपानी	446/12.11.1991	882/22.03.1996
8.	वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, समनापुर	414/07.11.1991	880/22.03.1996
9.	वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट	419/07.11.1991	881/22.03.1996
10.	वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, कोसलेवाडा	415/07.11.1991	879/22.03.1996
11.	सतपुडा आफसेट मुद्रणा. सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट.	861/10.12.2013	1284/16.08.2016
12.	साई पिछड़ा वर्ग महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट.	854/10.12.2013	979/01.07.2016
13.	आदर्श बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, देवरी	771/23.02.2012	974/01.07.2016
14.	बालाघाट गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट.	04/21.06.1960	957/29.07.2015
15.	ईट खापरा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, लामता	44/30.08.1963	893/19.07.2013
16.	प्रयोग ग्रा. महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, कोरजा	856/10.12.2013	951/29.07.2015
17.	त्रिमूर्ति बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, उकवा	361/31.03.1992	818/03.06.1999
18.	विविध बहु. सहकारी समिति मर्यादित, परसवाडा	744/10.03.1958	4833/19.10.1967

अतः, मैं, राकेश उइके, सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप–पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि मे प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज में प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास समिति के संबंध मे कोई लेखा–पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतित हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(G-1803) **राकेश उइके,** सह. विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 28 नवम्बर, 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 72 (2) के अंतर्गत]

क्र.–उपंबा–परि–2025–1388.– निम्नांकित सूची के कालम न. (2) में दर्शित एवं कालम न. (3) के पंजीयन क्रमांक दर्शित अनुसार सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत कॉलम न. (4) में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खैरलांजी को परिसमापक नियुक्त किया गया थाः–

क्र.	परिसमापन समिति का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापक आदेश क्र. एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ममता बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पुलपुट्टा	666 / 23.09.2005	985 / 01.07.2016
2.	जनहित महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टेकाडीतीजू.	667 / 23.09.2005	892 / 19.07.2013
3.	प्राथमिक महिला साख सहकारी समिति मर्या., टेकाडीतीजू.	836 / 10.12.2013	1013 / 04.07.2016
4.	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पिपरिया	572 / 31.03.1997	46 / 09.01.2015
5.	प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कोथुरना	581 / 31.03.1997	898 / 19.07.2013

परिसमापक श्री सी.पी.सिह (प्रभारी) वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड/जनपद पंचायत खैरलांजी के द्वारा उपरोक्त समितियों की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर समितियों के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त परिसमापन सहकारी समितियों के अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण–पत्रक (निरंक) का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (आडिट) के माध्यम से कराया गया. एवं सहायक पंजीयक (आडिट) द्वारा टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि उक्त संस्थाओं की देनदारियों/लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, परिसमापक द्वारा की गई उक्त कार्यवाही से एवं संस्थाओ के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन सहकारी संस्थाओं की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्थाओं को अस्तित्व में बनें रहने का कोई औचित्य नही है संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मैं, राजेश उइके, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट एवं प्रभारी उप–रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह–1–सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत मुझे प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं उपरोक्त समितियों का निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) अस्तित्व समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1804) **राजेश उइके,** प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बैहर बिरसा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 27 जनवरी, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि–समि–2026–क्यू.– सर्वसाधारण को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप--सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालाघाट के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2025/28/ दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश दिनांक दर्शाया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पं. क्रमांक	पूर्व प्रसारित परिसमापन, आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, मेंडकी	478/31.10.1992	960/29.07.2015
2	शिवम बहु० सहकारी समिति मर्यादित, भंडेरी	675/27.05.2008	951/29.07.2015
3	दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, परसाटोला	659/31.03.2005	975/27.07.2013
4	दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बिजौरा	714/20.01.2009	980/21.07.2013
5	दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पौडी	657/31.05.2005	974/27.07.2013
6	दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बिरवा (बैहर)	724/18.09.2009	982/27.07.2013
7	वन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, भंडेरी	12/31.12.1962	3471/18.11.1970

अतः, मैं, के. एस. सैयाम, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक कार्यालय उप–पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बालाघाट मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओ के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व–प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप–सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालाघाट में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद मे कोई सुनवाई नहीं होगी. चार्ज मे प्राप्त जो भी रिकार्ड है उनके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास समिति के संबंध में कोई लेखा–पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशन होने के दिनांक के 15 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित् अवधि व्यतित हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

(G-1805) **के. एस. सैयाम,** अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारीता, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत)

क्र.–परि–2025–1723.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2016–1244, दिनांक 25 जुलाई 2019 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धांधला, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1653, खरगोन, दिनांक 11 जुलाई 2012 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री सोहन सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः, मैं, के. आर. अवासे, सहायक–रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनिमय, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 7एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, धांधला, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1653, खरगोन दिनांक 11 जुलाई 2012 है जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1806)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1722.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2016–1070, दिनांक 27 अगस्त 2016 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़दिया सुरता, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1315, खरगोन, दिनांक 15 जनवरी 2002 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री सोहन सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र.–एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़दिया सुरता, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1315, खरगोन, दिनांक 15 जनवरी 2002 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1807)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1721.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2019–1210, दिनांक 19 जुलाई 2019 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिटनेरा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2001, खरगोन, दिनांक 27 अक्टूबर 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री सोहन सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिटनेरा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2001 खरगोन, दिनांक 27 अक्टूबर 2014 है जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1808)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1720.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–568, दिनांक 01 मई 2025 के द्वारा महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्या., सनावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 179, खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2009 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1880, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधि ासूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, महाराणा प्रताप, साख सहकारी संस्था मर्या., सनावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 179 खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2009 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1880, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1809)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1719.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–568, दिनांक 01 मई 2025 के द्वारा नंदी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 214 खरगोन, दिनांक 04 अक्टूबर 2011 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, नंदी साख सहकारी संस्था मर्या बड़वाह, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 214 खरगोन, दिनांक 04 अक्टूबर 2011 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1915, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1810)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1718.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2023–1495, दिनांक 28 अगस्त 2023 के द्वारा मां अंबिका बीज सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1713, खरगोन, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, मां अंबिका बीज सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1713 खरगोन, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1811)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1717.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2020–1447, दिनांक 11 नवम्बर 2020 के द्वारा राधेकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन कमांक 236, खरगोन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1937, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश, सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना कं. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, राधेकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 236 खरगोन, दिनांक 28 दिसम्बर 2011 एवं संपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक 1937, दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ .

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1812)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1716.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–1079, दिनांक 22 जुलाई 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरबावड़िया, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2009 खरगोन, दिनांक 12 नवम्बर 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र कुमार रोमड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,बोरबावड़िया, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2009, खरगोन, दिनांक 12 नवम्बर 2014 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1813)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1715.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–1079, दिनांक 22 जुलाई 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकावा तहसील सनावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2083 खरगोन, दिनांक 18 फरवरी 2016 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री राजेन्द्र कुमार रोमड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकावा, तहसील सनावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2083 खरगोन, दिनांक 18 फरवरी 2016 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1814)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1714.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–374, दिनांक 27 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपखेड़ा बड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2058 खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2015 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री राजाराम भटट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र.–एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूपखेड़ा बड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2058, खरगोन, दिनांक 27 नवम्बर 2015 है जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1815)

खरगोन, दिनांक 29 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1712.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–345, दिनांक 24 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माचलपुर खुर्द, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2190 खरगोन, दिनांक 02 जनवरी 2016 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री शोभाराम सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माचलपुर खुर्द, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2190, खरगोन दिनांक 02 जनवरी 2016 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1816)

खरगोन, दिनांक 11 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1556.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–341, दिनांक 24 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरफड़ खुर्द, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2110, खरगोन, दिनांक 31 मार्च 2016 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती भारती मण्डलोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरफड़ खुर्द, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 2110 खरगोन, दिनांक 31 मार्च 2016 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1817)

खरगोन, दिनांक 11 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–1555.– इस कार्यालय के आदेश क्र.–परिसमापन–2025–309, दिनांक 24 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलबावड़ी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1575 खरगोन, दिनांक 04 अगस्त 2009 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती भारती मण्डलोई, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र.–एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलबावड़ी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1575 खरगोन, दिनांक 04 अगस्त 2009 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1818) **के.आर. अवासे,** सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 24 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम, 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्रमांक–परि.–2025–क्यू..– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	राजराजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	43/05–09–2013	4081/05–12–2025
2	राहिल महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	66/05–09–2013	4082/05–12–2025
3	रिलेटिव मेडिकल रीलीफ साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर.	85/05–09–2013	4083/05–12–2025
4	रानीपुरा साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	120/05–09–2013	4084/05–12–2025
5	रूची साख सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	550/30–05–1980	4085/05–12–2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तद्नुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1819) **निकिता यादव,** उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम, 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापन का संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कल्याण मिल्स कामगार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	1061/03–05–1947	क्र./निर्वा./2025/3975 दिनांक 05–12–2025
2	शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	423/28–09–1973	क्र./निर्वा./2025/3976 दिनांक 05.12.2025
3	आदर्श नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	145/08–08–1975	क्र./निर्वा./2025/3977 दिनांक 05.12.2025
4	हुकुमचन्द मिल्स कामगार साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	37/28–02–2023	क्र/निर्वा./2025/3978 दिनांक 05.12.2025
5	ग्राम स्वराज भूमिहीन संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., माचला, जिला इन्दौर.	459–495/07–03–1974	क्र./निर्वा./2025/3979 दिनांक 05.12.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रुप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रुप से निराकरण मेरे व्दारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1820) **के. के. जमरे,** परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 8 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1),(2) के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2026–8.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–1221–रायसेन दिनांक 29 अगस्त 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलैया कन्हवार, विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 03 मार्च 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी.एस. जूनागढ़े, अंकेक्षण अधिकारी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षण श्री अशोक कुमार शर्मा, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया गया है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, डॉ. छविकांत वाघमारे, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की ओर विज्ञप्ति क्रमांक–एफ–5–1–99 पन्द्रह 1 सी., दिनांक 25 जुलाई 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. , सलैया कन्हवार विकासखण्ड बाड़ी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 03 मार्च 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था की निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 8 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1821) **छविकांत वाघमारे,** उप पंजीयक.

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2025

क्र.–उरन–परि–2025–26–1204.–कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2017/1944 नरसिंहपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2025 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढिंगसरा, पं.क्र. 513, दिनांक 04 जनवरी 1997, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1990 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत श्री जी.पी. अहिरवार, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः, मैं, दिनेश कुमार चौरसिया, प्रभारी उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ–5–1–99–पंद्रह 1–सी., दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढिंगसरा, पं.क्र. 513, दिनांक 04 जनवरी 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय बॉडी कार्पोरेट समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 नवम्बर 2025 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1822) **दिनेश कुमार चौरसिया,** प्रभारी उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 27 जनवरी, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–क्यू.–01– उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., हीरापुर	आष्टा	1205/30–11–2002	822/09–07–2025
02	फेयर डील क्रेडिट कॉप. सोसायटी लिमिटेड, आष्टा.	आष्टा	1646/29–09–2012	822/09–07–2025
03	प्राथमिक वानिकी सह.संस्था मर्या., लालाखेड़ी	सीहोर	1859/23–03–2017	822/09–07–2025
04	नवीन प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, आष्टा.	आष्टा	1827/24–07–2015	822/09–07–2025

अतः, मैं, कपिल घुँघराले, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ, कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने की दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1823) **कपिल घुँघराले**, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत**]**

क्र.–परिसमापन–2026–क्यू–01.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैः–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सरवानिया	1197/23–11–2005	1761/10–07–2025
2	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेरछा	1085/05–10–2001	1761/10–07–2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रशासन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तद्नुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-1824) **संजय चतुर,** परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2026—फाल्गुन 8, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.